

बिहार सरकार,
विधि विभाग

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन)
अधिनियम, 1981

[बिहार अधिनियम 37, 1982]
(यथासंशोधित बिहार अधिनियम 11, 1994 तक
तथा बिहार विधान मंडल द्वारा पारित 2007)

विषय – सूची

धारा :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. ईख बोर्ड की स्थापना।
4. बोर्ड के कृत्य।
5. बोर्ड की उप-समितियाँ।
6. बोर्ड की निधि।
7. इलाका विकास परिषदों की स्थापना।
8. परिषद के कृत्य।
9. परिषद की निधियाँ।
10. बोर्ड और परिषदों का निगमन, उनके कार्यों और कार्यवाहियों की व्यावृत्ति तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा।
11. परिषद का विघटन।
12. ईख आयुक्त की नियुक्ति।
13. ईख पदाधिकारियों की नियुक्ति।
14. ईख आयुक्त आदि के रूप में नियुक्ति के लिए निरहर्ता।
15. कारखानों में ईख की पेराई के लिए लाइसेन्स।
16. यूनिट में पेराई और विनिर्माण के लिए लाइसेन्स।
17. कारखानों के दखलकारों या यूनिट के स्वामियों की दिये गये लाइसेन्सों की शर्तें।
18. किसी कारखाने या यूनिट के लाइसेन्सों को रद्द या निलंबित करने का शक्ति।
19. यूनिट की स्थानान्तरित करने की शक्ति।
20. ईख आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील।
21. अस्तित्वशील लाइसेन्सों का चालू रहना।
22. लाइसेन्स फीस।
23. इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्ति।
24. कर्मचारी लाइसेन्स।
25. प्रबंधक की नियुक्ति।
26. खरीद-एजेन्टों की नियुक्ति का प्रतिशेष।
27. कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख की मात्रा का प्राक्कलन।
28. ईख की खरीद के प्रारम्भ की पूर्व शर्तें।
29. खरीद केन्द्रों की स्थापना।
30. रात्रि में ईख की तौल का प्रतिशेष।
31. आरक्षित क्षेत्र की घोषणा।
32. आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद।
33. आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद।
33. ए – आरक्षित एवं आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद एवं आपूर्ति का विनियमन
34. ईख क्षेत्रों का सर्वेक्षण।
35. पूंजी-संचारण।
36. कारखानों में उपयोग में लाये जाने के लिए ईख की किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति।
37. अनुपयुक्त बीज के वितरण का प्रतिशेष।
38. कारखाने के दखलकार द्वारा बीज के जखीरे का अनुरक्षण।
39. ईख की सही तौल का अभिलेखन।
40. खरीद केन्द्रों पर पहुंच-मार्गों आदि की व्यवस्था।
41. पशुचालित गाड़ी की रोक रखने के लिए प्रतिकार का भुगतान।
42. यूनिट की आपूरित ईख का न्यूनतम मूल्य।

43. ईख के मूल्य का भुगतान।
44. कटौती।
45. दावा रहित रकमों पर परिषद की निधि में जमा की जायेगी।
46. कतिपय विवादों का निर्णय।
47. अन्तिम आदेशों का प्रवर्तन।
48. ईख की खरीद का कमीशन का दिया जाना।
49. ईख पर कर।
50. कारखाने के दखलकार द्वारा उधार दिया जाना।
51. कतिपय पावनों के संबंध में ब्याज की दर।
52. अपराधों के लिए दण्ड।
53. कार्यवाही का चलाया जाना।
54. ए- लोक-मांग के रूप में वसूलनीय राशि के लिए अध्यक्ष पदाधिकारी
55. अपराध का शमन करने की शक्ति।
56. प्रतिभूतियों का समपहरण।
57. क्षतिपूर्ति।
58. ईख आयुक्त और अन्य व्यक्तियों का लोक-सेवक समझा जाना।
59. गवाहों को बुलाने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेशान करने की शक्ति।
60. कारखाने के दखलकार का अवधारण।
61. भूतलक्षी प्रभाव से आदेश देने की शक्ति।
62. शक्तियों का सौंपा जाना।
63. सहकारी कारखानों या यूनियों को अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की शक्ति।
64. अपील प्रदायी प्राधिकारी की अन्तर्वर्ती आदेश देने और अपील फाइल करने में हुए विलम्ब की माफ करने की शक्ति।
65. किसी निश्चित अवधि में कतिपय विधियों के अधीन शेषों और करों के अधिरोपण और संग्रहण की विधिमान्यता प्रदान करना।
66. नियमावली बनाने की शक्ति।
67. निरसन और व्यावृत्ति।

**बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981
(बिहार अधिनियम संख्या-37, 1982)**

(राष्ट्रपति का 23 जनवरी 1982 को अनुमति प्राप्त बिहार गजट, असाधारण अंक, दिनांक 25 जनवरी 1982 में प्रकाशित)

1. बिहार अधिनियम संख्या-13, 1985 (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित
2. बिहार अधिनियम संख्या-13, 1987 (संशोधन) द्वारा जोड़ा गया,
3. बिहार अधिनियम संख्या-11, 1994 (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित,
4. बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित 2007

अद्यतन 2007 तक यथासंशोधित अधिनियम

चीनी कारखानों और खाण्डसारी चीनी विनिर्माण यूनिटों में उपयोग के लिए आशयित ऊख के उत्पादन, आपूर्ति वितरण एवं खरीद तथा ऊख के कराधान और उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान-मंडल द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हुआ और उपरोक्त चार संशोधन अधिनियमों द्वारा निम्न रूप में अद्यतन रूप धारित किया।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ । -- (1) यह अधिनियम बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 कहलाएगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं।-- इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित ऊख बोर्ड अभिप्रेत है,
 - (ख) "ईख" से कारखाने या युनिट में उपयोग के लिए आशयित ऊख अभिप्रेत है,
 - (ग) "ईख आयुक्त" से धारा 12 के अधीन ईख आयुक्त के रूप में नियुक्त पदाधिकारी अभिप्रेत है,
 - (घ) "ईख-उत्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ईख की खेती या तो स्वयं करता हो या अपने परिवार के सदस्यों से या भारे के मजदूरों से कराता हो,
 - (ङ) "ईख पदाधिकारी" से धारा 13 के अधीन नियुक्त ईख पदाधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपर ईख पदाधिकारी भी है,
 - (च) "समाहर्ता" से जिले का समाहर्ता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वह पदाधिकारी भी है जो उप-समाहर्ता की पंक्ति से नीचे का न हो तथा राज्य सरकार द्वारा जिसकी नियुक्ति इस अधिनियम के अधीन समाहर्ता के सभी या किन्ही कृत्यों का निर्वहन करने के लिए की गई हो,
 - (छ) विलोपित।
 - (छ-1) विलोपित।
 - (ज) "परिषद्" से धारा 7 के अधीन स्थापित इलाका विकास परिषद् अभिप्रेत है,
 - (झ) "पेराई-साल" से प्रतिवर्ष 1 जुलाई की प्रारम्भ होकर अगले वर्ष की 30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है,
 - (ञ) "कारखाना" से आसपास की जमीन सहित कोई परिसर अभिप्रेत है जिसके किसी भाग में निर्वात-पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्मित की जाती हो एवं ईख पर आधारित किसी तकनीक या प्रक्रिया पर चीनी अथवा गन्ना आधारित अन्य उत्पाद जिसमें गन्ना आधारित इथेनाल प्लान्ट, परिस्कृत स्पीट प्लान्ट तथा को-जेनरेशन प्लान्ट शामिल हैं,
 - (ट) "प्रबंधक" से धारा 25 के अधीन नियुक्त प्रबंधक अभिप्रेत है,
 - (ठ) "कारखाने का दखलकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कारखाने में निर्वात-पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्माण एवं ईख पर आधारित किसी तकनीक या प्रक्रिया पर चीनी अथवा गन्ना

आधारित अन्य उत्पाद जिसमें गन्ना आधारित इथेनाल प्लान्ट, परिष्कृत स्पीट प्लान्ट तथा को-जेनरेशन प्लान्ट शामिल हैं, का कारबार करता हो और जिसको कारखाने के कामकाज पर चरमनियंत्रण हो,

- (ड) "विहित" से नियमावली द्वारा विहित अभिप्रेत है,
- (ढ) "मांग-पर्ची" से कारखाने के दखलकार द्वारा या उसकी ओर से जारी की गई वह पर्ची अभिप्रेत है जिसकी अपेक्षानुसार किसी ईख-उत्पादक को आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र में उत्पादित ईख-पर्ची जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से खरीदी जाने के लिये, उस पर्ची में विनिर्दिष्ट तारीख को और स्थान पर लानी हो,
- (ण) "आरक्षित क्षेत्र" से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जहां ऊख का उत्पादन होता हो या होने की सम्भाव्यता हो और जो धारा 31 के अधीन किसी कारखानों के लिये आरक्षित हो,
- (ण-1) "निर्दिष्ट क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जहां ईख का उत्पादन होता हो या होने की सम्भावना हो और जो किसी कारखाने के लिए आरक्षित न हो,
- (त) "नियमावली" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है,
- (थ) "राज्य सरकार" से बिहार राज्य की सरकार अभिप्रेत है,
- (द) "चीनी" से किसी भी प्रकार की ऐसी चीनी अभिप्रेत है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक ईख-शर्करा हो और इसके अन्तर्गत मिश्री या खाण्डसारी चीनी (खुला पात्र-प्रक्रिया द्वारा बनाई गई चीनी) या भूरा चीनी या पेरी गई चीनी अथवा रवेदार या चूर्ण रूप में कोई चीनी अथवा किसी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी भी है,
- (ध) "यूनिट" से ऐसा विनिर्माता एक अभिप्रेत है जो ईख रस से खाण्डसारी चीनी, गुड़, शक्कर, गुल, जागरी या राव का शक्ति चालित पेराई मशीन द्वारा विनिर्माण या उत्पादन में लगा या साधारणतः लगा हो, और
- (न) "शक्ति चालित पेराई मशीन यंत्र" से ऐसा पेराई यंत्र अभिप्रेत है जो डीजल, विद्युत या भाप शक्ति से चालित हो और गुड़, शक्कर, गुल, जागरी, राव या खाण्डसारी चीनी के विनिर्माण के लिये ईख की पेराई तथा उससे रस निकालने में लगा या साधारणतः लगा हो।

अध्याय 2

प्रशासन तंत्र

3. ऊख बोर्ड की स्थापना।— (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस तारीख से जो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक बोर्ड की स्थापना की जायगी जिसका नाम बिहार राज्य ऊख बोर्ड होगा।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) ईख के प्रभारी मंत्री और प्रभारी राज्य मंत्री जो क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे,
- (ख) बिहार विधान मंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिये पांच सदस्य, जिसमें चार सदस्य बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से और एक सदस्य बिहार विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित किए जायेंगे,
- (ग) सत्रह सदस्य जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुपात में नियुक्त किए जायेंगे :—
- | | | |
|--|---|---|
| (i) कारखाने | — | 4 |
| (ii) यूनिट | — | 1 |
| (iii) ईख-उत्पादक | — | 5 |
| (iv) ऊख संबंधी तकनीकी ज्ञान प्राप्त अथवा ऊख एवं उसके उत्पादनों के विकास में अन्यथा अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति | — | 5 |
| (v) श्रमिक | — | 2 |
- (घ) निम्नांकित पदेन सदस्य होंगे :—
- (i) ईख आयुक्त, बिहार

- (ii) संयुक्त ईखायुक्त/ सहायक ईखायुक्त, बिहार
- (iii) निदेशक, गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर
- (iv) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग या उनके प्रतिनिधि जो कि अधीक्षण अभियंता से नीचे के स्तर के नहीं होंगे
- (v) अभियंता प्रमुख, जल संसाधान विभाग या उनके प्रतिनिधि जो कि अधीक्षण अभियंता से नीचे के स्तर के नहीं होंगे
- (vi) अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधान विभाग या उनके प्रतिनिधि जो कि अधीक्षण अभियंता से नीचे के स्तर के नहीं होंगे
- (vii) अभियंता प्रमुख, ऊर्जा विभाग या उनके प्रतिनिधि जो कि अधीक्षण अभियंता से नीचे के स्तर के नहीं होंगे
- (viii) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन।
- (ड) राज्य सरकार के गन्ना विकास विभाग का सचिव अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य पदाधिकारी, जो बोर्ड का पदेन सचिव होगा :

परन्तु बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की लेखा उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि में ऊख के प्रभारी मंत्री और इस उप-धारा के खंड (ई) के अधीन उक्त उद्घोषणा के अधीन विघटित राज्य विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने तक सदस्यों के स्थान में इसके लिये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य होंगे,

(3) उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट उद्घोषणा प्रवर्तन की अवधि में बोर्ड के अध्यक्ष को अपनी अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये किसी भी सदस्य का नाम निर्देशित करने की शक्ति होगी।

(4) आरम्भ में बोर्ड तीन वर्षों की अवधि के लिए गठित किया जाएगा और उसके बाद उतनी-उतनी ही अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति, बोर्ड के गठन या पुनर्गठन की अवधि के साथ ही कार्यवसित होगी :

परन्तु राज्य सरकार, यदि उसके विचार में ऐसा करना समीचीन हो तो, किसी भी समय, बोर्ड के किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार कर सकेगी, और उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन उस रिक्ति को भर सकेगी।

(5) बोर्ड, उसकी कार्यकारिणी समिति या उप-समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन और कार्य का संचालन उस रीति से करेगी तथा उन समयों और स्थानों पर अपनी बैठक करेगी एवं अपनी बैठकों में कार्य-संचालन के संबंध में उन नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो विहित की जायं।

4. बोर्ड के कृत्य। — (1) बोर्ड राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों में परामर्श देगा :—

- (क) ऊख के उत्पादन, अनुसंधान, अनुसंधान, परिवहन और विक्रय संबंधी विकास योजनाओं का आयोजन।
- (ख) ईख की आपूर्ति, खरीद तथा तौल के विनियमन संबंधी विषय,
- (ग) राज्य में ऊख अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षित ऊख की किस्में जो कारखाना के उपयोग के लिए उपयुक्त या अनुपयुक्त हों,
- (घ) कारखानों को आपूर्ति की जानेवाली ईख के मूल्य अवधारण के विषय में सिफारिशें,
- (ङ) यूनियों के स्वामियों द्वारा संदेय ईख के मूल्य का अवधारण,
- (च) कारखाने के दखलकारों और प्रबंधकों तथा ईख-उत्पादकों तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों के बीच समन्वय बनाये रखना, और
- (छ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायं।
- (2) बोर्ड उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त —
- (क) परिषदों के कार्यकलाप का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पुनर्विलोकन और समन्वय कर सकेगा तथा उसके लेखाओं की सवर्ती लेखा परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा,
- (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगा जिसका अनुपालन परिषद करेगी, और
- (ग) खंड (क) में निर्दिष्ट सवर्ती लेखा परीक्षा की लागत पूर्णतः या अंशतः लोक मांग के रूप में वसूल कर सकेगा।

(3) यदि कोई परिषद उप-धारा (2) खंड (ख) के अधीन बोर्ड के किसी निर्देश का पालन करने में चूक करे तो बोर्ड राज्य सरकार के विचारानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए, जिसमें धारा 9 में विनिर्दिष्ट भुगतानों का पूर्णतः या अंशतः निलम्बन भी शामिल है, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें ऐसी चूक के व्योरे विनिर्दिष्ट रहेंगे।

5. बोर्ड की उप-समितियाँ। — (1) बोर्ड धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कृत्य के सम्पादन के लिए एक उप-समिति गठित कर सकेगा जिसमें उसके सदस्यों में से अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे और इस प्रकार गठित उप-समिति अपने सदस्यों में से एक संयोजक नियुक्त कर सकेगी

(2) उप-समिति को ऐसे किसी सरकारी या गैर-सरकारी विशेषज्ञ को सहयोजित करने की शक्ति होगी जो उसे सौंपे गए विषय पर उसे सलाह देने के लिये अर्हित हो :

परन्तु इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को मतदान का अधिकार न होगा।

6. बोर्ड की निधि। — बोर्ड निम्नलिखित निधियों का प्रशासन करेगा :—

(i) धारा 49 के अधीन अनुदान के रूप में प्राप्त रकम,

(ii) धारा 9 के अधीन अन्तरित रकम, और

(iii) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकम।

(2) बोर्ड अपनी निधियों का उपयोग अपने कर्तव्य और कृत्यों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिये कर सकेगा, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन अपने संकल्प द्वारा धारा (5) की उप-धारा (2) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों सहित गैर सरकारी सदस्यों यथास्थिति, बोर्ड या उप-समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये यात्रा-भत्ता और बैठक-फीसों का भुगतान मंजूर कर सकेगा :

परन्तु धारा 49 के अधीन प्राप्त रकम के पाँच प्रतिशत से कुछ भी अधिक, राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना प्रशासनिक व्यय के रूप में खर्च नहीं किया जायगा :

परन्तु यह और कि धारा 9 के अधीन अन्तरित रकम संबद्ध परिषद के हित में ही खर्च की जायगी।

(3) निधियों का उपयोग करने में वित्तीय रूप से कमजोर परिषदों के और अपने स्थापना तथा कार्यारम्भ से पांचवाँ पेरार्ड—साल न पूरा किए हुए कारखानों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "नए कारखाने" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) क्षेत्रों के हित में अधिक-से-अधिक रकम खर्च करने की नीति अपनाई जाएगी और किसी पेरार्ड—साल में बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन तदर्थ किये जाने वाले कुल व्यय का न्यूनतम अनुपात वह होगा जो विहित किया जाए।

7. इलाका विकास परिषदों की स्थापना। — (1) उस तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, हरेक आरक्षित क्षेत्र के लिए एक इलाका विकास परिषद् की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) जिला समाहर्ता या अनुमण्डलाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी, जो अध्यक्ष होगा,

(ख) सहायक निदेशक, ईख विकास जो सदस्य होगा,

(ग) ईख आयुक्त द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, जो सचिव होगा,

(घ) जिला अभियंता,

(ङ) स्थानीय ईख उत्पादकों और के पाँच प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे,

(च) कारखाने के दखलकार का एक प्रतिनिधि जो उसकी सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा,

परन्तु जहां आरक्षित क्षेत्र इस प्रकार गठित किया गया हो कि उसका विस्तार एक से अधिक जिलों में हो, वहां अध्यक्ष उस जिला का समाहर्ता होगा जिस जिला में कारखाना अवस्थित हो, की नियुक्ति और परिषद् की सदस्यता संख्या-वृद्धि ऐसी रीति से की जाएगी जो आरक्षित क्षेत्र के सभी भागों का प्रतिनिधित्व उपबंधित करने के लिये विहित की जाए।

(2) आरम्भ में परिषद् तीन वर्ष की अवधि के लिये कार्यावधि समाप्ति की तिथि के छह महीने के अन्दर गठित की जाएगी और उसके बाद यह उतनी ही अवधि के लिए पुनर्गठित की जायगी। जबतक नये क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन नहीं होता है तबतक पुराना क्षेत्रीय विकास परिषद कार्यरत रहेगा।

(3) परिषद् के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति परिषद् के गठन या पुनर्गठन की अवधि के साथ ही पर्यवसित होगी और उसके अन्तर्गत ऐसी कोई और अवधि भी होगी, जो यथास्थिति, गठन या पुनर्गठन, की अवधि के अवसान और परिषद् के अनुवर्ती पुनर्गठन के बीच व्यतीत हो।

परन्तु राज्य सरकार, यदि उसके विचार में ऐसा करना समीचीन हो तो किसी समय परिषद् के किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार कर सकेगी और उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्याधीन, उस रिक्ति को भर सकेगी।

(4) परिषद् को अपने समक्ष के किसी खास विषय पर विचार-विमर्श के लिये उस विषय में परामर्श देने की योग्यता रखने वाले राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी को अथवा किसी विशेषज्ञ को सहयोजित करने की शक्ति होगी,

परन्तु इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को मतदान का अधिकार न होगा।

(5) परिषद् अपने कृत्यों का पालन और कार्य का संचालन उस रीति से करेगी और उन समयों और स्थानों पर अपनी बैठकें करेगी तथा अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में उन नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो विहित की जाएं।

(6) यथाविहित विषयों पर यथाविहित रीति से विचार करने के लिये जिले की सभी परिषदों की संयुक्त बैठक की जा सकेगी।

(7) ऐसी बैठकों की अध्यक्षता जिले का समाहर्ता करेगा और परिषदों के सचिवों में से ईख आयुक्त द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति बैठक का संयोजक होगा।

8. परिषद् के कृत्य। — परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे —

(क) ऊख से संबद्ध संचार, सिंचाई, मृदा-विश्लेषण तथा राज्य कृषि सुविधाओं के विकास के लिये विचार करके कार्यक्रम तैयार करना,

(ख) विकास योजना की सभी तात्विक बातों के कार्यान्वयन के लिये उपाय और साधन ढूढ़ निकालना, जिनके अन्तर्गत संचार एवं ईख की किस्मों का सुधार और विकास, उन्नत बीजों, उर्वरकों और खादों की आपूर्ति, पोधा-संरक्षण एवं रोग और विनाशकारी कीड़ों की रोकथाम तथा नियंत्रण भी है,

(ग) ईख के कृषि-विस्तार कार्य में सभी संभव सहायता देना,

(घ) ऊख की खेती के उन्नत तरीकों में कृषकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना, और

(ङ) आरक्षित क्षेत्र के सामान्य विकास से संबंधित या उसके साधक अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं।

9. परिषद् की निधियां। — (1) परिषद् निम्नलिखित रकमों का प्रशासन कर सकेगी :—

(i) परिषद् को राज्य सरकार द्वारा धारा 48 या 49 के अधीन या अन्यथा अनुदान के रूप में सौंपी गई रकम,

(ii) कारखानों, ईख-उत्पादकों और अन्य द्वारा अंशदान के रूप में दी गई रकम,

(iii) कोई अन्य रकम जिसके परिषद् की निधि में जमा किए जाने की राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, और

(iv) अन्य किसी स्रोत से प्राप्त रकम।

(2) परिषद् अपनी निधियों का उपयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन के संबंध में खर्च की पूर्ति के लिये करेगी तथा धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों सहित अपने गैर-सरकारी सदस्यों को परिषद् की बैठकों या धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन संयुक्त बैठकों में उपस्थित होने के लिये उन दरों से भत्तों और बैठक-फीसों का भुगतान कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा, बोर्ड से परामर्श करके मंजूर की जाएं। क्षेत्रीय विकास परिषदों द्वारा ऊख बोर्ड को उनके परामर्श पर सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर राशि उपलब्ध करायी जायगी।

(3) परिषद् प्रशासनिक व्ययों के लिये अपनी निधियों का उपयोग विहित सीमाओं के भीतर करेगी।

(4) यदि परिषद् किसी पेरार्ड-साल से संबंधित किसी विकास-कार्य की कार्यान्विति उसके सुधार कार्यक्रम में शामिल किए जाने से दो साल के भीतर करने में चूक करे, तो संबद्ध राशि बोर्ड को अन्तरित कर दी जायगी और बोर्ड को उसे खर्च करने की शक्ति होगी तथा परिषद् ऐसी राशि के संबंध में बोर्ड के आदेश का अनुपालन करेगी।

10. बोर्ड और परिषदों का निगमन, उनके कार्यों और कार्यवाहियों की व्यावृत्ति तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा। — (1) बोर्ड और प्रत्येक परिषद् उस नाम से निगमित निकाय होगी जिससे उसकी स्थापना की गई हो। प्रत्येक का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की सम्पत्ति या अर्जित करने, धारण करने और निपटाने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह अपने नाम से वाद लाएगी और उसके नाम से उस पर वाद लाया जाएगा।

(2) बोर्ड या किसी परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित किसी कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराई जा सकेगी :—

(क) कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि, या
 (ग) उसकी कार्यवाहियों में ऐसी कोई अनियमितता जिससे मामले के गुणानुगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।
 (3) प्रत्येक बोर्ड और परिषद् की लेखाओं की लेखा परीक्षा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक करेगा,

परन्तु राज्य सरकार इस धारा के अधीन लेखा परीक्षक को नियुक्त करने के बदले, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दें सकेगी कि बोर्ड या परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा बिहार ऐंड उड़ीसा लोकल फंड ऑडिट ऐक्ट, 1925 (वि.उ.अ. 2, 1925) के अधीन होगी तथा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोर्ड या परिषद् स्थानीय प्राधिकारी और उसकी निधि स्थानीय निधि समझी जायगी।

(4) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट, यथास्थिति, बोर्ड या परिषद् को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार के पास भेजेगा। राज्य सरकार बोर्ड या परिषद् को उक्त रिपोर्ट के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद उसपर ऐसे निदेश देगी, जो वह उचित समझे और बोर्ड या परिषद् का निदेशों का पालन करेगी।

(5) बिहार ऐंड उड़ीसा लोकल फंड ऑडिट ऐक्ट, 1925 (वि.उ.अ. 2, 1925) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक से भिन्न लेखा परीक्षक को, यथा-स्थिति, बोर्ड या परिषद् की निधि से विहित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

11. परिषद् का विघटन। — (1) यदि राज्य सरकार की राय में कोई परिषद् इस अधिनियम पर नियमावली के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में लगातार उपेक्षा करें अवज्ञा ऐसा कोई कार्य करे जो उसके हित के प्रतिकूल हो अथवा धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन बोर्ड के किसी निदेश की जान-बूझकर अवज्ञा करे अथवा उचित रूप से कृत्य न कर रही हो तो राज्य सरकार परिषद् को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किसी भी समय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि परिषद् अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को और अवधि के लिये विघटित हो जाएगी।

(2) जब परिषद् उप-धारा (1) के अधीन विघटित कर दी जाय, तब अध्यक्ष और सचिव सहित परिषद् के सभी सदस्यों के बारे में यह समझा जायगा कि उन्होंने विघटन की तारीख से अपने पद खाली कर दिये हैं, लेकिन उससे पुनर्नियुक्ति या पुनर्मनोनयन के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा तथा विघटन की अवधि में परिषद् की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायगा, जिसे या जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करें।

(3) विघटन के छह महीने के भीतर ही परिषद् धारा 7 के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।

12. ईख आयुक्त की नियुक्ति। — (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ईख आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने के लिये बिहार राज्य का ईख आयुक्त नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह योग्य समझे, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उन्हें सौंपी जाएं, ईख आयुक्त को सहायता करने के लिए अपर ईख आयुक्त, संयुक्त ईख आयुक्त, उप-ईख आयुक्त और सहायक ईख आयुक्त नियुक्त कर सकेगी और उन्हें अपने-अपने अधिक्षेत्र के भीतर ईख आयुक्त की कोई या सभी शक्तियों एवं कर्तव्य प्रदत्त और अधिरोपित कर सकेगी।

13. ईख पदाधिकारियों की नियुक्ति। — (1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह योग्य समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उन्हें सौंपी जाएं, ईख पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) ईख-आयुक्त, ईख-आयुक्त की सहायता करने के लिये धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जिला दंडाधिकारी और प्रत्येक अनुमंडल दंडाधिकारी अपने-अपने अधिक्षेत्र के भीतर पदेन ईख पदाधिकारी होगा।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे पदाधिकारियों को जिन्हें वह योग्यत समझे, इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों के लिये ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उक्त सरकार उन्हें क्रमशः सौंपे, अपर ईख पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी।

(4) किसी क्षेत्र में, जहां एक से अधिक ईख पदाधिकारी ईख पदाधिकारी हों, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा हरेक ईख पदाधिकारी द्वारा पालनीय कृत्य घोषित कर सकेगी।

(5) ईख पदाधिकारी अपने अधिक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर —

(क) किसी भी ऐसे स्थान में, जो कारखाना या यूनिट या गोदाम हो या जिसे इस रूप में प्रत्युक्त होने वाला विश्वास करने के लिये उसके पास कारण हो अथवा किसी ऐसे स्थान में जहां ईख की

तौल होती हो या ईख का मूल्य चुकाया जाता हो, प्रवेश कर सकेगा और महातुला या तुला या तौल के लिये व्यवहृत किसी अन्य यंत्र की ओर ईख की खरीद के संबंध में रखने गये अभिलेखों, पंजियों और लेखाओं की ऐसी परीक्षा कर सकेगा जैसी यह आवश्यक समझे,

(ख) ईख की गाड़ियों या रेल के डिब्बों एवं ट्रकों तथा परिवहन के अन्य साधनों से ईख के प्रेषणों की तौल या पुनः तौल अपनी उपस्थिति में करा सकेगा,

परन्तु, साधारणतः वह ईख जो लद चुकी हो, बिना किन्हीं विशेष परिस्थितियों के जिनकी लिखित सूचना कारखाने के प्रबंधक तथा ईख आयुक्त को दी जायगी पुनः तौल के लिये उतारी नहीं जाएगी,

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा जिसकी परीक्षा करना वह अपने कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये उचित समझे,

(घ) कारखाने के दखलकार या प्रबंधक या यूनिट के स्वामी से ईख के उत्पादन, आपूर्ति या पेराई, चीनी के विनिर्माण एवं उत्पादित, निर्गमित या भण्डार में रखी हुई चीनी, राव या छोआ की मात्रा या किस्म एवं ईख के मूल्य के भुगतान संबंधी कोई जानकारी मांग सकेगा,

(ङ) किसी ऊख-उत्पादक से ऊख या ईख के उत्पादन, खेती एवं आपूर्ति तथा ईख के मूल्य के भुगतान के बारे में कोई जानकारी मांग सकेगा,

(ङ-1) किसी पुस्तक, लेखा या नगदी उधार लेखा से संबंधित अन्य लेखा मॉग कर सकेगा, और

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो विहित या राज्य सरकार द्वारा निदेशित हों।

(6) जहां ईख पदाधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि इस अधिनियमों, नियमावली या उसके अधीन दिए गए किसी लाइसेन्स की बन्धेजों या शर्तों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जानेवाला है, वहां वह —

(क) ऐसे उल्लंघनों से संबद्ध कोई बही, लेखा या अन्य कागजात प्रस्तुत करने के लिये यूनिट के स्वामी का निदेश दे सकेगा,

(ख) यूनिट या उसके परिसर के किसी भाग या यूनिट के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने वाले किसी स्थान का निरीक्षण कर सकेगा या दो साक्षियों की उपस्थिति में, उसे तोड़कर खोल सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा,

(ग) ऐसे उल्लंघनों से संबद्ध व्यवहार प्रदर्शित करनेवाले कागजात से उद्धरण या उसकी नकल ले या लिवा सकेगा,

(घ) शक्तिचालित कोल्हू सहित यूनिट की किसी मशीनरी की दो साक्षियों की उपस्थिति में, तलाशी ले सकेगा, उसे अभिगृहीत कर सकेगा और उसे निष्क्रिय बना देने के लिये उसके किसी महत्वपूर्ण पुर्जे को हटा सकेगा,

(ङ) ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यथास्थिति, कारखाने के दखलकार या यूनिट के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से ईख या ईख रस की खरीद या ईख के मूल्य के भुगतान से संबंधित कारखाना या यूनिट के लेखे, पंजियां या कागजात अभिगृहीत लेखे, पंजियां और कागजात तबतक रखे जायेंगे जबतक उनकी परीक्षा के लिये या धारा 52 के अधीन अभियोजन या धारा 57 के अधीन किसी कार्यवाही के लिये उन्हें रखने की युक्तियुक्त आवश्यकता हो तथा उसके बाद वे विहित रीति से लौटा दिये जायेंगे,

परन्तु यदि ईख पदाधिकारी अभिगृहीत लेखे, पंजियों का कागजात नब्बे से अधिक दिन अपने पास रखे, तो ऐसा करने के लिये कारण लेखबद्ध किये जायेंगे और ईख आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायगा।

स्पष्टीकरण — खंड (घ) के प्रयोजनार्थ “शक्तिचालित कोल्हू” शब्द से डिजेल, बिजली या वाष्प शक्ति से चलने वाला और राव या खांछडसारी चीनी के विनिर्माण के लिये ईख पेरने और उसका रस निकालने के काम में लगा या साधारणतः लगा कोल्हू अभिप्रेत है।

(7) ईख पदाधिकारी अपने अधिक्षेत्र के बाहर अवस्थित किसी कारखाने के दखलकार, किसी यूनिट के स्वामी निम्नलिखित के संबंध में जानकारी मांग सकेगा यदि ऐसा दखलकार या स्वामी, उसके अधिक्षेत्र के भीतर उत्पादित ईख या ऐसी ईख का रस खरीदती हो—

(i) ईख का उत्पादन, खरीद, आपूर्ति या सर्वेक्षण, ईख का मूल्य, ईख के मूल्य में से काटी गयी रकम और धारा 44 के अधीन उसका जमा किया जाना, या

(ii) ईख के रस का उत्पादन या आपूर्ति और उसका मूल्य।

(8) ईख पदाधिकारी, ईख की साम्य पूर्ण खरीद के लिये ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और ऐसे अनुदेशों का अनुपालन तुरन्त किया जायगा,

परन्तु विहित प्राधिकारी, या तो स्वतः या किसी संबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अनुदेश का प्रवर्तन निलम्बित कर सकेगा और संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, अनुदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा और पुनरीक्षण में दिया गया उसका आदेश अन्तिम होगा।

(9) कारखाने का दखलकार, यूनिट का स्वामी, उनकी ओर से कार्य करनेवाले व्यक्ति, प्रत्येक ईखोत्पादक या ईखोत्पादक या अन्य व्यक्ति इस धारा के अधीन जारी किये गये आदेश, निदेश या अनुदेश का अनुपालन करेगी।

(10) (i) तौलसेतु एवं ईख तौल की शुद्धता के लिए कारखाना के दखलकार प्रबंधक एवं तौल लिपिक उत्तरदायी होंगे। तौलसेतु एवं ईख तौल के निरीक्षण में गलत वजन या कम वजन (घटतौली) पायी जाती है, तो सम्बद्ध ईख पदाधिकारी द्वारा अधिकतम दस हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।

(ii) कारखाने के दखलकार/ प्रबंधक द्वारा निर्गत मांग पर्ची यदि फर्जी नाम की या गलत नापी के आधार पर निर्गत पायी गई तो ईख पदाधिकारी द्वारा जुर्माना उपधारा (i) के अनुसार किया जायगा।

(iii) उपधारा (i) एवं (ii) में पारित आदेश के विरुद्ध आहत पक्ष द्वारा अपील सम्बद्ध सहायक ईखायुक्त के समक्ष एक सप्ताह के भीतर तथा सहायक ईखायुक्त के आदेश से आहत व्यक्ति ईखायुक्त के समक्ष अपील एक माह के अन्दर कर सकेगा।

परन्तु यह कि आहत पक्ष जुर्माना की राशि कोषागार में जमा करने के बाद ही अपील कर सकेगा।

14. ईख आयुक्त आदि के रूप में नियुक्ति के लिये निरहंता। — कोई भी व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी कारखाने या यूनिट में या वहां की जानेवाली किसी प्रक्रिया या कारबार में, या तत्सम्बद्ध किसी पेटेंट या मशीनरी में हित हो ईख आयुक्त की सहायता करने के लिये अथवा ईख आयुक्त या ईख पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा तथा ऐसी नियुक्ति के बाद यदि कोई व्यक्ति उक्त रूप से हितबद्ध हो जाय तो वह उक्त पद पर नहीं रहेगा।

अध्याय 3

लाइसेन्स

15. कारखाने में ईख की पेराई के लिये लाइसेन्स। — (1) किसी कारखाने में कोई ईख तबतक नहीं पेरी जायगी जबतक कि उसका दखलकार राज्य सरकार से विहित फारम में लाइसेन्स न प्राप्त कर ले जो संबद्ध पेराई—साल में उतनी मात्रा में ईख पेरेने का प्राधिकार दे जितनी लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट हो।

परन्तु यह कि लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट मात्रा में, उस पेराई वर्ष में, ईख की उपलब्धता के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार के पास विहित फारम में और विहित रीति से आवेदन करने पर लाइसेन्स दिया जायगा,

परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने के संबंध में लाइसेन्स देने से इनकार कर सकेगी, यदि —

(क) उसने पूर्व में दिये गये किसी लाइसेन्स को पहले ही रद्द कर दिया हो या उसे नवीकृत करने से इनकार कर दिया हो, या

(ख) पूर्व में दिये गये लाइसेन्स को पिछले पेराई—साल के लिये नवीकृत करने के लिये कोई आवेदन न दिया गया हो।

(3) संबद्ध पेराई—साल में कारखाने में पेरी गयी ईख की मात्रा, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक होगी, न कि अन्यथा।

16. यूनिट में पेराई और विनिर्माण के लिये लाइसेन्स। — (1) किसी भी यूनिट में संबद्ध पेराई—साल में राव या खांडसारी चीनी या गुड़, शक्कर, गुल, राव, अथवा जागरी के विनिर्माण के लिये ईख या ईख रस की खरीद ऐसे लाइसेन्स के अधीन तथा उसकी बन्धेजों और शर्तों के अनुसार ही की जायगी, अन्यथा नहीं, जिसे यूनिट का स्वामी ईख आयुक्त से, उसके पास आवेदन करके और विहित प्राधिकारी के पास विहित रीति से, उतनी रकम, यदि कोई हो, जमा करके प्राप्त करे जो लाइसेन्स की शर्तों के सम्यक रूप में पालनार्थ प्रतिभूति के रूप में विहित हो,

परन्तु जहां यूनिट में यूनिट के स्वामी द्वारा उत्पादित ईख ही पेरी जाती हो, तथा यूनिट में उपयोग के लिये न तो अन्य ईख और न ईख रस ही खरीदा जाता हो, वहां यूनिट के स्वामी से लाइसेन्स प्राप्त करने की अपेक्षा न की जायगी।

(2) यदि यूनिट के स्वामी और संबद्ध कारखाने के दखलकार की सुनवाई का अवसर देने के बाद, ईख आयुक्त का समाधान हो जाय कि यूनिट से उस दखलकार द्वारा चीनी के उत्पादन में असम्यक रूप से ह्रास होगा, तो वह लाइसेन्स देना अस्वीकार कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया लाइसेन्स अहस्तांतरणीय होगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन जमा की गयी प्रतिभूति विहित रीति से रखी, समपाहृत और पुनर्भरित की जायगी और ऐसी किसी अवधि के दौरान जिसमें उक्त जमा की गयी रकम समपहृरण के कारण ह्रासित या निर्वापित हो जाय और पुनर्भरित न की जाय, लाइसेन्स रद्द किया गया समझा जायगा।

17. कारखानों के दखलकारों या यूनिटों के स्वामियों को दिये गये लाइसेन्स की शर्तों। — (1) धारा 15 के अधीन दिया गया लाइसेन्स उन शर्तों के अधीन होगा जो राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों के संबंध में अधिरोपित करें, अर्थात् —

(क) पेरार्ई साल में पेरी जानेवाली ईख की मात्रा।

(ख) विलोपित, और

(ग) अन्य ऐसे आनुषंगिक विषय जो विहित किये जायं।

(2) धारा 16 के अधीन दिया गया लाइसेन्स उन शर्तों के अधीन होगा जो ईख आयुक्त, बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकथित सामान्य सिद्धांत के अनुरूप, निम्नलिखित किसी या सभी विषयों के संबंध में अधिरोपित करें, अर्थात् —

(क) संबद्ध पेरार्ई-साल में खरीदी जानेवाली ईख या खरीदे जाने वाले ईख रस की अधिकतम मात्रा,

(ख) विलोपित,

(ग) यूनिट की कार्यावधि और काम के घंटे,

(घ) जिन प्रयोजनों के लिये लाइसेन्स दिया गया हो उनसे भिन्न प्रयोजनों के लिये यूनिट के उपयोग का प्रतिषेध,

(ङ) पूर्व अनुज्ञा के बिना यूनिट के विस्तार, उसमें वृद्धि या परिवर्तन या उसके स्थान परिवर्तन का प्रतिषेध,

(च) यूनिट या उसके किसी भाग के अन्तरण या बिक्री की दशा में दी जाने वाली सूचना,

(छ) पेरी गयी ईख, उपयोजित ईख रस, उत्पादित, भंडार में रखी गयी या बाहर भोजी गयी राव या खांडसारी चीनी या गुड़, शक्कर, गुल अथवा जागरी के लेखाओं का रखा जाना और निरीक्षण और परीक्षा के लिये मांगे जाने पर तत्संबंधी अभिलेखों का पेश किया जाना।

(ज) यूनिट के परिसर में ईख पदाधिकारी की अव्यवहित पहुंच का अनुज्ञात होना, और

(झ) ऐसी अन्य विषय जो विहित किये जायं, जिनके अन्तर्गत खरीदी गयी ईख या उत्पादित खांडसारी-चीनी या गुड़, शक्कर, गुल अथवा जागरी अथवा राव का मूल्य और उसका भुगतान, पैकिंग, निपटान, परिदान या वितरण भी है।

18. किसी कारखाने या यूनिट के लाइसेन्स को रद्द या निलंबित करने की शक्ति। — यदि धारा 15 या 16 के अधीन दिये गये लाइसेन्स का लाइसेन्सधारी लाइसेन्स की शर्तों को किसी प्रकार पंच करे या इस अधिनियम या नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करें तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या ईख आयुक्त (लाइसेन्सधारी के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) लाइसेन्सधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा लाइसेन्स को रद्द या निलम्बित कर सकेगा।

19. यूनिट को स्थानान्तरित करने की शक्ति। — (1) यदि ईख आयुक्त का समाधान हो जाय कि कोई यूनिट संबद्ध कारखाने के चीनी उत्पादन का असम्यक रूप से ह्रास करती हो तो वह, इस निमित्त जारी किये गये लिखित आदेश द्वारा यूनिट के स्वामी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह यूनिट को हटाकर आरक्षित क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर ले जाय जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो,

परन्तु हटाने का ऐसा आदेश तबतक जारी न किया जायगा जबतक संबद्ध कारखाने का दखलकार ऐसे स्थानान्तरण के खर्च के भुगतान का भार अपने ऊपर न ले, जो, पक्षकारों के बीच एकरार के आधार पर, अथवा यदि ऐसा कोई करार न हो, तो उसके स्थानान्तरण मद्धे लगने वाले खर्च और उसके परिकलन के आधार पर, के विषय में, पक्षकारों को लिखित अभिवेदन करने का अवसर देने के बाद, उचित और युक्तियुक्त आधार पर, ईख आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाय,

परन्तु यह और कि जहां यूनिट में यूनिट के स्वामी द्वारा उत्पादित ऊख ही पेरी जाती हो तथा यूनिट में उपयोग के लिये न तो अन्य ईख और न ईख रस ही खरीदा जाता हो वहां यूनिट के स्वामी से उसे स्थानान्तरित करने की अपेक्षा न की जायगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ईख आयुक्त के आदेश जारी करने पर यूनिट, का स्वामी तुरन्त यूनिट का कार्य रोक देगा और लाइसेन्स को परिवर्तित स्थल की प्रविष्टि के लिये ईख आयुक्त के समक्ष पेश करेगा।

20. ईख आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील। — धारा 16, 18 या 19 के अधीन ईख आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों की भीतर, विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा।

21. अस्तित्वशील लाइसेन्सों का चालू रहना। — (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी कारखाने के दखलकार या यूनिटों के स्वामी द्वारा बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1974 (वि.अ. 15, 1974) के अधीन धारित लाइसेन्स पेटाई-साल के शेषांग के लिये उसी प्रकार विधिमान्य रहेगा मानो वह लाइसेन्स इस अधिनियम के अधीन दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अस्तित्वशील लाइसेन्स को इस अधिनियम के अधीन एक नये लाइसेन्स से बदल दिया जायगा अगर इसके निमित्त, यथास्थिति, धारा 15 या 16 के अधीन लाइसेन्स दिये जाने के लिये विहित अवधि के भीतर आवेदन किया जाय और विहित फीस का भुगतान कर दिया जाय।

22. लाइसेन्स-फीस। — (1) इस अध्याय के अधीन दिये गये लाइसेन्स के लिये ऐसी फीस का भुगतान किया जायगा जो विहित की जाय।

(2) कारखानों या यूनिट के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये फीस के भिन्न-भिन्न मान विहित किए जा सकेंगे।

23. इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्ति। — यदि किसी व्यक्तिवर्ग के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के किसी या सीपी उपबन्धों का ऐसे व्यक्तिवर्ग पर लागू होना असामयिक होगा अथवा उससे कठिनाई होगी तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तिवर्ग की जन उपबन्धों के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकेगी।

24. कर्मचारी लाइसेन्स। — (1) यदि सम्बद्ध कारखाने के दखलकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ईख उत्पादकों के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिये किसी भी क्षेत्र में ईख की खरीद तथा उसके मूल्य के भुगतान के संबंध में काम करने वाले कारखाना कर्मचारियों की गतिविधियों की लाइसेन्स द्वारा नियन्त्रित करना समीचीन है तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसे क्षेत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तिवर्ग को, जिसे विहित रीति से लाइसेन्स न दिया गया हो, कारखाने के दखलकार या प्रबंधक द्वारा ईख की खरीद के लिये या ईख के मूल्य के भुगतान के लिये किसी भी संव्यवहार के संबंध में नियोजित न किया जाय।

(2) किसी भी व्यक्ति की उप-धारा (1) के अधीन लाइसेन्स तबतक न दिया जायगा जबतक कि ऐसा व्यक्ति विहित धनराशि विहित रीति से प्रतिभूति के रूप में जमा न कर दे।

(3) जहां प्रतिभूति धारा 55 की उप-धारा (2) के अधीन पूर्णतः या अंशतः समपहृत की गयी हो और लाइसेन्सधारी ऐसे समपहरण से पन्द्रह दिनों के भीतर ही उसका पुनर्भरण न करे, वहां लाइसेन्स रद्द समझी जायगी।

अध्याय 4

ईख की खरीद और आपूर्ति

25. प्रबंधक की नियुक्ति। — (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर और उसके बाद प्रति पेटाई-साल के प्रारम्भ के पूर्व उतनी ही अवधि के भीतर कारखाने का दखलकार इस अधिनियम, या नियमावली के योजनार्थ प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की सूचना समाहर्ता को भेजेगा,

परन्तु इस अधिनियम के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति की प्रथम सूचना जबतक न भेजी जाय तबतक बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1974 (वि.अ. 15, 1974) के अधीन प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया या नियुक्त समझा गया व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रबंधक समझा जायगा।

(2) कोई भी व्यक्ति तबतक प्रबंधक के रूप में नियुक्त न समझा जायगा जबतक कि उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रतिभूति के रूप में दस हजार रुपयों की राशि संबद्ध समाहर्ता के पास विहित रीति से जमा न कर दी जाय।

(3) जब कभी कोई नया प्रबंधक नियुक्त किया जाय, कारखाने का दखलकार समाहर्ता को उस परिवर्तन की लिखित सूचना उस तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर भेज देगा जिस तारीख को नया प्रबंधक अपने कार्य का भार ग्रहण करे।

(4) ऐसी किसी अवधि में जिसके लिए उप-धारा (1) और (2) के उपबन्धों का अनुपालन किया जाय या प्रबंधक के रूप में नियुक्त व्यक्ति कारखाने का प्रबंधक न करे या धारा 55 की उप-धारा (2) के अधीन

समपहरण की हद तक उसी प्रतिभूति की राशि पुनर्भरित न की जाय, इस अधिनियम, और नियमावली के प्रयोजनार्थ कारखाने का भूदखलकार कारखाने का प्रबन्धक समझा जायगा।

26. खरीद-एजेंटों की नियुक्ति का प्रतिषेध। — (1) कारखाने का दखलकार या प्रबंधक ईख की तौल या खरीद या ईख के मूल्य के भुगतान से संबद्ध कार्यों का सम्पादन वैतानिक कर्मचारियों की सहायता से कर सकेगा। ईख के वजन के निमित्त कारखाने द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी अपने पास एक वैद्य परिचय पत्र रखेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन कारखाने का दखलकार या प्रबंधक उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये न तो किसी व्यक्ति को खरीद-एजेंट के रूप में नियुक्त करेगा, न ऐसे किसी प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति की सेवाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद-एजेंट के रूप में उपयोग करेगा।

(3) उपर्युक्त उप-धारा (1) एवं (2) के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने पर चीनी मिल के दखलकार या प्रबंधन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर पचीस हजार रुपये तक दण्ड लगाया जा सकेगा या इस अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

27. कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख की मात्रा का प्राक्कलन। — (1) प्रत्येक कारखाने का दखलकार प्रत्येक पेराई-साल के पूर्व विहित तारीख को या उसके पूर्व, ईख आयुक्त के पास विहित रीति से इस विषय में प्राक्कलन भेजेगा कि उस पेराई-साल के दौरान कारखाने में कितनी ईख अपेक्षित होगी।

(2) ईख आयुक्त उप-धारा (1) के अधीन भेजे गए प्रत्येक प्राक्कलन की परीक्षा करेगा और जहां किसी कारखाने के दखलकार ने उप-धारा (1) के अधीन प्राक्कलन प्रस्तुत करने में चूक की हो, वहां वह स्वयं विहित रीति से प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे विहित रीति से वैसे किन्हीं रूपभेदों के साथ प्रकाशित करेगा जो वह संबद्ध परिषद् के सारा परामर्श के बाद उचित समझे।

(3) विहित प्राधिकारी या तो स्वतः या उप-धारा (2) के अधीन प्राक्कलन के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर उसके पास कारखाने के दखलकार के आवेदन भरने पर, उक्त उप-धारा के अधीन प्रकाशित प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर सकेगा जो अन्तिम होगा और वह प्राधिकारी इस प्रकार पुनरीक्षित प्राक्कलन को विहित रीति से प्रकाशित करायेगा।

28. ईख की खरीद के प्रारम्भ की पूर्व शर्तें। — (1) किसी कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति ईख की खरीद तबतक प्रारम्भ नहीं करेगा जबतक कि निम्नलिखित विषयों के संबंध में यथाविहित समुचित व्यवस्था न कर ली जाय तथा संबंधित ईख पदाधिकारी से ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय अर्थात् —

- (क) खरीदी जानेवाली ईख की तौल,
- (ख) खरीदी गई ईख के मूल्य का भुगतान,
- (ग) ईख की गाड़ियों के ठहरने का स्थान,
- (घ) तौल की जगह तक जाने के लिये पहुंच-मार्ग, और
- (ङ) मांग-परिचयों का वितरण।

(च) क्रय केन्द्रों पर ईख की खरीद प्रारम्भ करने के पूर्व दखलकार/ प्रबंधन क्रय केन्द्रों पर अपने कार्यरत कर्मचारी का नाम एवं पदनाम, ईख की दर, तौलसेतु प्रमणीकरण रिपोर्ट आदि का समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रदर्शन करेंगे।

उपर्युक्त धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने पर कारखाना के विरुद्ध 25,000.00 (पचीस हजार) रुपये तक का दण्ड लगाया जायगा या इस अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(2) जहां धारा 34 के अधीन सर्वेक्षण न किया गया हो, वहां कारखाने का दखलकार ईख की खड़ी फसल का सर्वेक्षण ईख की खरीद प्रारम्भ होने के पूर्व विहित रीति से कर लेगा।

29. खरीद-केन्द्रों की स्थापना। — (1) चीनी मिल में किसी पेराई वर्ष में पेराई कार्य प्रारम्भ होने के कम से कम 45 दिन पूर्व, चीनी मिल के दखलकार द्वारा ईख की खरीद हेतु पथ/ रेल क्रय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव ईखायुक्त, बिहार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी/ सहायक/ संयुक्त ईखायुक्त एवं जिला के समाहर्ता को दी जायेगी।

(2) ईख पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा कर ईखायुक्त, बिहार को प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना मंतव्य/ अनुशंसा दी जायेगी तथा उसकी प्रति संबंधित सहायक/ संयुक्त ईखायुक्त एवं जिला समाहर्ता को दी जायेगी।

(3) ईख पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित तथ्यों के आलोक में अपनी अनुशंसा/ मंतव्य गठित किया जायेगा—

- (i) किसी चीनी मिल के आरक्षित/आवंटित क्षेत्र की सीमा रेखा से 3 किलो मीटर रैखिक दूरी के अन्दर कोई भी क्रय केन्द्र स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किन्हीं दो क्रय केन्द्रों के बीच की न्यूनतम रैखिक दूरी कम से कम 4 किलो मीटर होगी।
- (iii) किसी भी क्रय केन्द्र के स्थापना के लिए उस क्रय केन्द्र से सम्बद्ध क्षेत्र में कम से कम 7500 टन ईख की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- (iv) मुक्त क्षेत्र में क्रय केन्द्रों की स्थापना में दूरी का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(4) ईख पदाधिकारी अपने अनुशंसा की एक प्रति सम्बद्ध सहायक/ संयुक्त ईखायुक्त को उपलब्ध करवायेगा, जिनके द्वारा प्रतिवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उसकी समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन ईखायुक्त को समर्पित किया जायेगा।

(5) ईखायुक्त द्वारा ईख पदाधिकारी/ सहायक/ संयुक्त ईखायुक्त द्वारा भेजी गई अनुशंसा की समीक्षा एवं संबंधित सभी पक्षों की सुनवाई कर क्रय केन्द्रों के आवंटन के संबंध में अन्तिम आदेश निर्गत किया जायेगा।

(6) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन, ईख की खरीद या किसी भी क्षेत्र के उसके संचलन, जिसमें उसका रेल द्वारा प्रेषण भी सम्मिलित है, के संबंध में ईखायुक्त के किसी आदेश या निदेश का पुनरीक्षण सरकार द्वारा किया जा सकेगा, जिसे यह शक्ति होगी कि वह या स्वतः या ऐसे आदेश या निदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके पास किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पुनरीक्षण के संबंध में कार्यवाहियों को शुरू करे।

(7) ईखायुक्त के आदेश या सरकार द्वारा संशोधित आदेश या निर्देश के बाद ही किसी क्रय केन्द्र का परिचालन प्रारम्भ हो सकेगा।

30. रात्रि में ईख की तौल का प्रतिषेध। — राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी क्षेत्र में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कारखाने के दखलकार या उसकी ओर से काम करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा ईख की तौल किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा।

31. आरक्षित क्षेत्र की घोषणा। — (1) ईख आयुक्त, कारखाने की पेराई की क्षमता, ऐसे क्षेत्र में ऊख की उपलब्धता तथा चीनी के उत्पादन की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए और संबद्ध परिषद्, कारखाने के दखलकार तथा प्रभावित होनेवाले अन्य कारखानों के दखलकारों से परामर्श करने के बाद, और उठाई गई किसी आपत्ति पर विचार कर लेने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र की किसी खास पेराई—साल या सालों में कारखाने को ईख की आपूर्ति के प्रयोजन से आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी कर सकेगा और इसी प्रकार ऐसे किसी आदेश को रद्द कर सकेगा या ऐसे आरक्षित किए गए क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन कर सकेगा,

परन्तु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित कारखाने की दशा में, ऐसी घोषणा तभी की जायगी जब ऐसे कारखाने का दखलकार ईख आयुक्त के पास, विहित फारम में यह अनुरोध करते हुए कि बिहार के भीतर अमुक क्षेत्र उस कारखाने को ईख आपूर्ति करने के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, एक आवेदन प्रस्तुत करे और ऐसी घोषणा इस शर्त पर की जायगी कि ऐसा दखलकार बिहार राज्य में एक शाखा—कार्यालय खोले और बिहार राज्य में किसी समाहर्ता के पास दस हजार रूपए जमानत के रूप में जमा करे और उस क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद करने के लिए विहित प्रपत्र में वचनबद्ध करे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ईख आयुक्त के आदेश से व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर या सरकारी गजट में उसके प्रकाशन से उसी अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा।

(3) परन्तु जब ईख आयुक्त एवं सचिव एक ही व्यक्ति हों तो व्यथित पक्ष सदस्य राजस्व पर्वद के समक्ष विहित समय सीमा के अन्दर अपील कर सकेगा।

(4) (क) राज्य सरकार जनहित में क्षेत्र आरक्षण के संबंध में नीतियों का निर्धारण करते हुए समय—समय पर दिशा निर्देश निर्गत कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार क्षेत्र आरक्षण या उसकी अवधि को जनहित में परिवर्तित कर सकेगी।

32. आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद। — (1) ईख आयुक्त, सरकारी गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा किसी विनिर्दिष्ट ऊख—उत्पादक या सामान्य रूप से ऊख उत्पादको के बारे में, यथास्थिति, ऐसे ऊख—उत्पादक

या ऊख उत्पादकों द्वारा आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ऊख की वह मात्रा या अनुपात नियत कर सकेगा, जिसकी प्रत्येक ऊख-उत्पादक स्वयं संबद्ध कारखाने को आपूर्ति करेगा।

(2) प्रत्येक ऊख-उत्पादक या संबद्ध कारखाने का दखलदार उप-धारा (3) और (4) में विनिर्दिष्ट रीति से करार करके, उप-धारा (1) के अधीन नियत मात्रा या अनुपात में ऊख की, यथास्थिति, आपूर्ति करने या खरीदने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे किसी व्यक्ति का ऐसा करने में जान-बूझकर चूकना इस अधिनियम के उपबंधों का भंग करना होगा,

(3) किसी आरक्षित क्षेत्र में कोई ईख उत्पादक विहित रूप में और विहित तारीख तक यथास्थिति, ईख-उत्पादक ऐसे क्षेत्र में उत्पादित ईख उस कारखाने के दखलदार को देने की पेशकश कर सकेगा जिसके लिए वह क्षेत्र आरक्षित हो।

(4) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित है उसका दखलदार उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार पेशकश की गई ईख की खरीद के लिए ऐसे रूप में, उस तारीख तक और ऐसे बन्धेजो और शर्तों पर करार करेगा जो विहित हो,

परन्तु —

(i) यदि किसी किस्म की ऊख धारा 36 की अधीन अधिसूचना द्वारा किसी कारखाने के उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित की गई हो तो ऐसे कारखाने के दखलदार से उस किस्म की ऊख खरीदने या का करार करने का अपेक्षा न की जाएगी,

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के अधीन ईख आयुक्त के किसी आदेश के विशेष अपील सरकारी गजट में अधिसूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिन के भीतर विहित प्राधिकारी के पास की जा सकेगी और ऐसा आदेश ऐसी अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अध्यधीन अन्तिम होगा।

(6) किसी भी आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना —

(i) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित हो, उससे भिन्न किसी कारखाने के दखलदार को या उसके द्वारा, या

(ii) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित हो, उससे भिन्न किसी कारखाने को ईख की आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को या उसके द्वारा, या

(iii) किसी यूनिट के ऐसे स्वामी को या उसके द्वारा, जिसे धारा 16 के अधीन लाइसेन्स न दिया गया हो, बेची या खरीदी नहीं जायगी।

(7) किसी आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख को ईख-उत्पादक से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं बेचेगा, परन्तु कोई ईख-उत्पादक किसी अन्य ईख-उत्पादक अथवा वाहक के मार्फत ईख का परिदान कर सकेगा।

(8) पेरार्ड-साल में, राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि आरक्षित क्षेत्र के बाहर उत्पादित ऊख कारखाने के दखलदार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा तबतक नहीं खरीदी जायगी, जबतक कारखाने का दखलदार आरक्षित क्षेत्र में उसे दी जाने की पेशकश की गई सारी ऊख आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर खरीद लेने का करार नहीं कर लेता,

परन्तु ऐसा प्रतिबंध आरक्षित क्षेत्र के बाहर उत्पादित उस ईख के संबंध में लागू नहीं होगा जिसकी आपूर्ति के लिए ईख-आयुक्त आदेश देंगे।

(9) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सरकार किसी आरक्षित क्षेत्र से ऊख के संचलन को इस प्रकार प्रतिषिद्ध या प्रतिबन्धित या अन्यथा विनयमित कर सकेगी कि ऐसा संचलन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये परमिट के अधीन और अनुसार ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

32 अ प्रतिकर का भुगतान। — यदि आरक्षित क्षेत्र में ईख अव्ययनित रहती है, तो ईख आयुक्त द्वारा संबद्ध दोनों पक्षों को सुने जाने का अवसर प्रदान करते हुए सम्यक रूप से जाँच पड़ताल कर संबद्ध ईख उत्पादकों को प्रतिकर का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकेगा।

33. आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद। — आरक्षित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में उत्पादित और किसी कारखाने के दखलदार को आपूर्ति के लिए आशयित ईख उस कारखाने का दखलदार या ऐसी खरीद करने के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति नहीं खरीदेगा :-

33 ए आरक्षित एवं आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद एवं आपूर्ति का विनियमन। — राज्य सरकार ईख की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आदेश द्वारा निम्नांकित विषयों को विनियमित कर सकेगी :-

(i) आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख का वितरण, बिक्री अथवा खरीद।

(ii) आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख का वितरण, बिक्री अथवा खरीद।

34. ऊख क्षेत्रों का सर्वेक्षण। — (1) राज्य सरकार, जब वह इसे समसमीचीन समझे, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र में उत्पादित ऊख और ऊख की खेती के योग्य किसी भी क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिये आदेश दे सकेगी और ऐसे सर्वेक्षण का खर्च उस कारखाने या उन कारखानों से वसूल कर सकेगी जिसके या जिनके लिये उस क्षेत्र की ईख की आपूर्ति की जाए।

(2) इस तरह का प्रत्येक सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के बाद, उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी के लिए तथा उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायतार्थ उसके द्वारा उपेक्षित व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधिपूर्ण होगा :—

(i) ऐसे परिक्षेत्र में किसी जमीन पर प्रवेश और उसका सर्वेक्षण तथा स्तरमापन करना एवं ऐसे सभी काम और जांच करना, जो उस जमीन का सर्वेक्षण और उसका सीमांकन संपन्न करने के लिए आवश्यक हो,

(ii) अवभूमि को खोदना और बेचना,

(iii) चिन्ह स्थापित करके तथा गड़ढ़े खोदकर जमीन को समतल करना, सीमांकन करना और रेखाएं खींचना, तथा

(iv) जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा न हो सके और स्तरपामन, सीमांकन तथा रेखांकन न किये जा सके, वहां खड़ी फसल, बाढ़ या जंगल के आवश्यक अंश को काटकर साफ करना।

(4) ईखायुक्त की सहायता के लिये, धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन, नियुक्त व्यक्ति या ईख पदाधिकारी उप-धारा (3) में वर्णित किसी या सीमा शक्तियों का प्रयोग ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर कर सकेगा जो सरकारी गजट में अधिसूचित की जाय।

(5) उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट पदाधिकारी सर्वेक्षण के क्रम में किसी सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान का मूल्य चुकायेगा या निवेदित करेगा और इस प्रकार चुकाई गई या निवेदित रकम की पर्याप्तता संबंधी किसी विवाद की दशा में वह तुरत उस विवाद को समाहर्ता को निदेशित करेगा, जो संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जांच करने, के बाद जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) उप-धारा (5) के अधीन समाहर्ता का आदेश और ऐसे आदेश के अध्यक्षीन उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट पदाधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(7) प्रत्येक व्यक्ति जिसकी या जिसकी दखल की भूमि किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन सर्वेक्षण किया जा रहा हो, ऐसा सर्वेक्षण करने वाले पदाधिकारी को ऐसी सहायता और सुविधाएं देगा जो विहित की जाये।

(8) उप-धारा (1) के अधीन किसी कारखाना या किन्ही कारखानों द्वारा देय कोई रकम लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूलनीय होगी।

(9) इस धारा के अधीन किसी सर्वेक्षण के अभिलेख किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य न होंगी।

35. पंजी-संधारण। — (1) कारखाने का दखलकार निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र के तथा ईख-उत्पादकों, ईख आपूरकों और ईख आपूरकों की एक पंजी, विहित प्रपत्र में रखेगा, अर्थात् —

(क) धारा 31 के अधीन कारखाने के लिये आरक्षित क्षेत्र, और

(ख) कोई अन्य क्षेत्र, जहां से कारखाना ईख खरीद सकता हो।

(2) यूनिट का स्वामी ऐसी ईख या ईख-रस के संबंध में, जो उसके द्वारा या उसकी ओर से पेरा या खरीदा जाए, विहित फारम में एक पंजी रखेगा।

(3) राज्य सरकार, नियमावली द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगी :—

(क) ऐसी पंजियों की प्रविष्टियों की शुद्धि और उनमें नई प्रविष्टियां बढ़ाना,

(ख) ऐसी शुद्धि एवं परिवर्द्धन संबंधी खर्च का भुगतान और ऐसे खर्च वसूल करने की रीति, तथा

(ग) विहित फीस भुगतान किए जाने पर, पंजियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां देगा।

36. कारखानों में उपयोग में लाएं जाने के लिए ऊख की किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति — राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के बाद सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि —

- (क) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पादित किसी किस्म की ऊख उक्त क्षेत्र में स्थित किसी या सभी कारखानों में उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, और
(ख) किसी किस्म का ऊख-बीज उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के कृषकों में वितरण के लिए अनुपयुक्त है।

37. अनुपयुक्त बीज के वितरण का प्रतिषेध। — (1) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी ईख उत्पादक द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिये ऐसा किसी किस्म के ऊख-बीज किसी व्यक्ति को वितरित नहीं करेगा जिस किस्म का ऊख-बीज धारा 36 के अधीन, उस क्षेत्र के कृषकों में वितरण के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो।

(2) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति ऐसी किसी किस्म की ऊख का उत्पादन नहीं करेगा जिस किस्म की ऊख, धारा 36 के अधीन ऐसे कारखाने में उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दी गई हो।

38. कारखाने के दखलकार द्वारा बीज के जखीरे का अनुरक्षण। — कारखाने का दखलकार ऊख के बीज का एक विहित जखीरा विहित रीति से उतने क्षेत्र में रखेगा जितना ईख आयुक्त, बोर्ड से परामर्श करके और कारखाने के दखलकार की सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद तथा कारखाने की पेरने की क्षमता एवं उसकी ईख की अपेक्षा की ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे।

39. ईख की सही तौल का अभिलेखन। — (1) प्रत्येक कारखाने का दखलकार, प्रत्येक युनिट का स्वामी, और प्रत्येक तौल प्रभारी, तौल एवं माप के विषय में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित त्रुटियों की सीमाओं के अध्याधीन तौल स्थान पर खरीदी गई ईख की ठीक-ठीक तौल का अभिलेख रखेगा।

(2) कोई ईख तौल किए बिना न खरीदी जायेगी।

40. खरीद-केन्द्रों पर पहुंच-मार्गों आदि की व्यवस्था। — किसी खरीद केन्द्र पर ईख की खरीद करने वाला, कारखाने का दखलकार निम्नलिखित के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा और उनकी ऐसी मरम्मत करवाता रहेगा, जो विहित की जाएं, अर्थात् :-

(क) पहुंच-मार्ग और पशुचालित गाड़ियों के ठहरने की जगह,

(ख) पशुओं तथा गाड़ीवानों के लिए छाजन,

(ग) खरीद-केन्द्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिये पेयजल, और

(घ) पशुओं के लिए पेयजल तथा पानी की नादें।

41. पशुचालित गाड़ी की रोक रखने के लिए प्रतिकर का भुगतान। — (1) किसी खरीद-केन्द्र पर ईख खरीदने वाला कोई कारखाने का दखलकार, या अन्य कोई व्यक्ति ऐसे केन्द्र पर छह घंटे से अधिक पशुचालित गाड़ी को नहीं रोकेगा।

(2) यदि ऐसे खरीद-केन्द्र पर कोई पशुचालित गाड़ी छह घंटे से अधिक रोक रखी जाए तो यथास्थिति, कारखाने का दखलकार, या अन्य व्यक्ति इस प्रकार रोक रखने के लिये ईख-आयुक्त को विहित रीति से समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर से प्रतिकर देने का भागी होगा।

(3) उप-धारा (1) निर्दिष्ट व्यक्ति पशुचालित गाड़ियों के ठहरने की जगह में उसके प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने का समय लिखने की विहित व्यवस्था करेंगे ताकि हड़ताल होने या मशीनरी के टूट-फूट जाने की स्थिति में अथवा ऐसा कोई कारण होने पर जो उनके वश के बाहर हो, वे उस हद तक प्रतिकर के दायित्व से विमुक्त रहेंगे जो विहित किया जाये।

अध्याय 5

ईख के मूल्य का भुगतान और अन्य विषय

42. यूनिट और कारखाना को आपूरित ईख का न्यूनतम मूल्य। — (1) राज्य सरकार, किसी क्षेत्र के संबंध में संबद्ध पेरार्ड-साल में यूनिट के स्वामियों को आपूरित ईख के लिये उनके द्वारा ईख-उत्पादकों को संदेय न्यूनतम ईख-मूल्य, बोर्ड से परामर्श करने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित कर सकेगी,

परन्तु इस प्रकार अवधारित न्यूनतम मूल्य उसी क्षेत्र से आपूरित ईख के संबंध में तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कारखाने के दखलकार द्वारा संदेय न्यूनतम मूल्य से अधिक न होगा।

(2) राज्य सरकार, सम्बद्ध पेरार्ड साल में पेरार्ड प्रारम्भ होने के पूर्व कारखानों के दखलकारों को आपूरित होने वाली ईख के लिए उनके द्वारा ईखोत्पादकों को संदेय ईख मूल्य का निर्धारण ईखोत्पादकों के हित, गन्ना आधारित उत्पादों से संभावित आय को ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित कर सकेगी।

परन्तु यह संदेय ईख मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांख्यिक मूल्य से कम नहीं होगा ।

परन्तु और यह भी कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राज्य के कारखानों में से जिसका सर्वाधिक मूल्य घोषित होगा, उस सर्वाधिक घोषित मूल्य से भी कम राज्य सरकार संदेय ईख मूल्य घोषित नहीं कर सकेगी ।

43. ईख के मूल्य का भुगतान। — (1) कारखाने का दखलकार ईख के मूल्य का भुगतान करने की ऐसी व्यवस्था करेगा जो विहित की जाय ।

(2) (i) ज्योही किसी कारखाने को ईख की आपूर्ति की जाये ऐसे कारखाने का दखलकार इस प्रकार आपूरित ईख का मूल्य चुकाने का भागी हो जाएगा ।

(ii) यदि खंड (i) के अधीन दायी कारखाने का दखलकार कारखाने की ईख की आपूर्ति की तारीख से चौदह दिनों से अधिक अवधि तक ईख का मूल्य न चुकाए तो वह उस पर आपूर्ति की तारीख से धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देने का भागी होगा ।

(iii) कारखाना द्वारा ईख उत्पादकों को ईख मूल्य का भुगतान सिर्फ एकाउन्ट पेयी चेक/ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जायगा। राज्य सरकार को इसे सीमित समय के लिए क्षान्त करने की शक्ति होगी ।

(3) विलोपित । (संशोधन अधिनियम संख्या-11, 1993)

(4) यूनिट का स्वामी अपने को आपूरित ईख के मूल्य का भुगतान आपूर्ति के तुरन्त बाद कर देगा और ऐसा करने में चूक करने पर विहित दर से ब्याज का भागी होगा ।

(5) उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में किसी बात के होते हुए भी कारखाने का दखलकार या यूनिट का स्वामी समय पर मूल्य का भुगतान न करने के लिये धारा 52 के अधीन दंड का भागी होगा ।

(6) ईख के मूल्य का कोई बकाया उसपर ब्याज के साथ यदि कोई हो लोक-मांग या भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगा ।

(7) कर या उत्पाद-शुल्क के संबंध में केन्द्रीय सरकार के किसी दावे के अधधीन रहते हुए ईख का मूल्य कारखाने की चीनी के सिवाय उसकी अन्य संपत्तियों पर प्रथम भार होगा ।

(8) जबतक अधिनियम की धारा 42 एवं 43 के प्रावधानों के अनुसार किसानों को उनके ईख के मूल्य का भुगतान नहीं हो जाता है तबतक किसी कारखाने के दखलकार या उसकी ओर से कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति चीनी या गन्ना आधारित किसी भी उत्पाद को कारखाने से न हटायेगा ।

44. कटौती । — (1) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन अपने द्वारा या उनकी गारंटी अथवा अन्य प्रकार से किसी बैंक या अन्य संस्थानों के द्वारा दिये गये किसी उधार के मद्दे कटौती के सिवाय ईख के मूल्य में से कोई अन्य कटौती नहीं करेगा ।

“परन्तु ईख मूल्य में से कोई भी कटौती संबंधित ईख उत्पादकों के पूर्विक एवं स्वेच्छया करार के बिना नहीं की जा सकेगी,

परन्तु यह और कि, किसी भी हालत में, ऐसी कटौती ईखोत्पादक द्वारा मिल को ईख आपूर्ति किये जाने के पन्द्रहवें दिन या आपूर्ति रसीद मिल के पास जमा किये जाने की तिथि से, जो पहले हो, की गयी समझी जायगी और उसी दिन से संबंधित ईखोत्पादक कटौती की हद तक ऋण एवं सूद की अदायगी के दायित्व से उन्मोचित समझा जायगा और यह मिल मालिक की जिम्मेवारी होगी कि उनकी गारंटी पर संबंधित बैंक या अन्य संस्थान, यदि कोई हो, जिसने उक्त ऋण प्रदत्त किये हों तत्क्षण एवं समुचित क्रेडिटिंग सुनिश्चित करें।”

(2) विलोपित ।

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राष्ट्रीय या राज्य योजना के अधीन कोई अंशदायी स्कीम हो वहां ईख उत्पादकों के अंशदानों की वसूली उनकी पूर्व सहमति से ईख के मूल्य में से कटौती करके ली जा सकेगी :

परन्तु कारखाने के दखलकार द्वारा इस प्रकार काटी गई रकम परिषद् की निधि से विहित रीति से जमा कर दी जायगी और उसके ऐसा नहीं करने पर कारखाने का दखलकार धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देने का भागी होगा तथा ब्याज सहित मूलधन लोक-मांग या भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगा ।

(4) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट उन कटौतियों को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की गई हों रकम जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी कारखाने के दखलकार या किसी अन्य व्यक्ति के पास हो राज्य सरकार के इस निमित्त आदेश के अनुसार बोर्ड या संबद्ध परिषद् की निधि में जमा कर दी जायेगी। यदि ऐसा

दखलकार या अन्य व्यक्ति ऐसी रकम इस तरह जमा करने में चूकें तो यह लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी और उसपर द्वारा 51 में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज लगेगा।

45. दावा रहित रकमों पर परिषद् की निधि में जमा की जायेंगी। — (1) किसी पेराई साल की समाप्ति से दो वर्ष बीत जाने पर राज्य में अथवा राज्य से बाहर स्थित कारखाने के दखलकार द्वारा वह ईख का मूल्य और उसका ब्याज यदि कोई हो, जो कि ईखोत्पादकों या आपूरकों को नहीं दिया जा सका हो, उसे संबंधित क्षेत्रीय विकास परिषद् के खाता में एक माह के भीतर जमा कर देगा।

(2) समाहर्ता उप-धारा (1) के अधीन जमा की गई रकम में से उन सभी दामों का भुगतान करेगा जिन्हें वह संदेय समझे और जो सरकारी गजट में राज्य सरकार के आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर उसके समक्ष पेश किए गए हों।

(3) उप-धारा (2) के अधीन दावों के भुगतान के बाद समाहर्ता के पास बची हुई रकम छः महीने के भीतर ही संबद्ध परिषद् की निधि में जमा कर दी जाएगी।

46. कतिपय विवादों का निर्णय। — (1) यदि किसी कारखाने के दखलकार को आपूरित ईख के मूल्य, मूल्य के हकदार व्यक्ति या उस कागज के संबंध में जिसके आधार पर मूल्य का दावा किया गया हो कोई विवाद खड़ा हो तो मूल्य का भुगतान रोक दिया जायगा और जिस कारखाने को ईख की आपूर्ति की गई हो उसका दखलकार उक्त विवाद को विहित फारम पर बनी पंजी में दर्ज कर लेगा तथा उसे विहित अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को निर्देशित कर देगा। विहित प्राधिकारी संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने तथा ऐसी जांच जैसी वह आवश्यक समझे करने के बाद, विवाद का निर्णय करेगा :

परन्तु, जब कभी इस उप-धारा के अधीन मूल्य का भुगतान रोका जाए कारखाने का दखलकार ऐसे निदेश के एक सप्ताह के भीतर विवादग्रस्त रकम विहित प्राधिकारी के पास विहित रीति से जमा कर देगा।

(2) किसी कारखाने के दखलकार द्वारा ईख की खरीद अथवा उसे इसकी आपूर्ति विपत्रक करार से संबंधित कोई अन्य विवाद तथा किसी यूनिट के स्वामी द्वारा ईख या ईख-रस की खरीद और उसके मूल्य के भुगतान से संबंधित कोई विवाद उप-धारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को निर्देशित किए जायेंगे जो उस उप-धारा में बताई गई रीति से उनका विनिश्चय कर सकेगा।

स्पष्टीकरण — यदि कोई ईख उत्पादक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कारखाने के दखलकार से ईख की आपूर्ति की पेशकश करे और उक्त दखलकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करार निष्पादित न करे तो ऐसे अनिष्पादित करार से संबंधित विवाद इस उप-धारा के अर्थ में विवाद होगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किए गए किसी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस निर्णय से तीस दिनों के भीतर समाहर्ता के पास अपील कर सकेंगे जो संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने तथा वैसी जांच, जैसी वह आवश्यक समझे करने के बाद ऐसा आदेश देगा, जो वह उचित समझे।

(4) उप-धारा (3) के अधीन समाहर्ता का आदेश और ऐसे आदेश के अध्याधीन उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

47. अन्तिम आदेशों का प्रवर्तन। — धारा 46 के अधीन दिए गए अन्तिम निर्णय या आदेश आवेदन करने पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार निष्पादित किए जायेंगे जिस प्रकार उक्त न्यायालय की डिक्री की जाती है,

परन्तु यदि धारा 46 के अधीन अन्तिम निर्णय या आदेश ईख के मूल्य के बारे में हो तो ऐसा मूल्य ब्याज के साथ, यदि कोई हो, लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूलनीय होगा।

48. ईख की खरीद पर कमीशन का दिया जाना। — (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखाने के दखलकार द्वारा यह उनकी ओर से खरीदी गई ईख पर ऐसे दखलकार द्वारा दिये कमीशन की राशि निर्धारित कर सकेगी और उसी तरह अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नये कारखाने के दखलकार को विहित अवधि तक ऐसा कमीशन के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत देय कमीशन विहित रीति से वसूल किये जायेंगे और यह धारा-9 के उप-धारा (1) खंड (i) के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास परिषद् की निधि होगी :

(3) उप-धारा (1) के अधीन संदेय कमीशन का भुगतान कारखाने के दखलकार द्वारा संबद्ध परिषद् को विहित रीति से किया जायगा। यह भुगतान ईख खरीद की माह के अगले एक पक्ष के भीतर कर दिया जायगा, अन्यथा इस पक्ष की पहली तारीख से ही धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देय होगा और जिसकी वसूली मूल राशि के साथ लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायगी।

49. ऊख पर कर। — (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, कारखाना के दखलकार या उसकी ओर से कारखाना में उपयोग या प्रयोग या उसकी बिक्रय के लिए या खरीदे गए या अपने फार्म या

बीज नर्सरी में से चीनी बनाने के लिए व्यवहृत ईख के वजन के आधार पर प्रति क्विंटल की दर से संदेय ईख क़य कर अधिरोपित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा —

(क) अनुसंधान, बीज वितरण, रोगग्रस्त ईख की पेराई या अत्यधिक फसल लेने के लिए ऐसे किसी कारखाने में उपयोजित ईख संबंधी ऐसे कर को कम अथवा पूर्णतः या भागतः परिहृत कर सकेगी।

(ख) किसी नए कारखाने या सरकारी सहायता के बिना न चल सकनेवाले कारखाने को चिन्हित अवधि के लिए ऐसे कर से विमुक्त कर सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन संदेय ईख क़य कर का भुगतान कारखाने के दखलकार द्वारा सम्बद्ध जिले के समाहर्ता को विहित रीति से किया जायेगा। यह भुगतान ईख खरीद माह के अगले एक पक्ष के भीतर कर दिया जायेगा, अन्यथा इस पक्ष की पहली तारीख से ही धारा-51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देय होगा, जिसकी वसूली मूल राशि के साथ लोक मांग या भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

(4) यूनिट के स्वामी द्वारा ऊख की खरीद पर, प्रति क्विंटल ऊख पर ऐसी दर से, जो सरकारी गजट में अधिसूचित हो, विहित रीति से कर लगाया और वसूल किया जाएगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कर वस्तुतः खरीदी गई ईख की मात्रा पर या यूनिट के स्वामी के विकल्पानुसार ऊख की विहित रीति से मान ली गई मात्रा पर, लेकिन किसी हालत में दस हजार रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं, संदेय होगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन संदेय कर का भुगतान यूनिट का स्वामी संबद्ध समाहर्ता को विहित रीति से करेगा और बकाए की रकम पर साठे सात प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जायगा। बकाए की रकम ब्याज सहित लोक-मांग के रूप में या भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी।

(6) किसी कर या उत्पाद शुल्क के संबंध में केन्द्रीय सरकार के दावे के अध्यक्षीन रहते हुए उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित कर के संबंध में राज्य सरकार का दावा संबद्ध पेराई साल में उत्पादित चीनी पर प्रथम भार होगा।

(7) जबतक उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित कर का भुगतान प्रति क्विंटल चीनी पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित दर से न कर दिया जाए और संबद्ध ईख पदाधिकारी से भुगतान का प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया जाए तबतक किसी कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति चीनी को कारखाने से न हटाएगा।

(8) बोर्ड और परिषदों को, प्रत्येक पेराई साल के संबंध में उप-धारा (3) और (5) के अधीन वसूल की गई रकम के ऐसे अनुपात जो राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर अवधारित करे विहित रीति से अनुदान के रूप में दिये जाएंगे ताकि वे ऐसी विकास स्कीमों का खर्च पूरा कर सकें जिनका भार उन्होंने राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने ऊपर लिया हो :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन संदेय रकम का पांचवा भाग बोर्ड को और शेष भाग संबद्ध कारखानों द्वारा पेरी गई ईख की मात्रा के अनुपात में परिषदों को दे दिया जायगा।

50. कारखाने के दखलकार द्वारा उधार दिया जाना।

(1) कारखाने का दखलकार या उनकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कोई बैंक किसी ईख उत्पादक को ईख की खेती या आपूर्ति से संबद्ध ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति से और उतनी राशि तक उधार दे सकेगा जो विहित हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिए गए उधार पर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदेय होगा तथा उधार और ब्याज विहित रीति से वसूलनीय होंगे।

51. कतिपय पावनों के संबंध में ब्याज की दर। — (1) धारा 43, 44, 48 या 49 के अधीन किसी कारखाने के दखलकार अथवा धारा 44 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त ब्याज की दर ग्यारह प्रतिशत प्रति वर्ष होगी :

परन्तु इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट ब्याज की दर में उतनी वृद्धि या कमी की गई समझी जाएगी जितनी वृद्धि या कमी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 49 में निर्दिष्ट विद्यमान बैंक दर (मानक दर) में हुई हो।

(2) किसी कारखाने के दखलकार की धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज की दर नहीं होगी जिस दर से ऐसे दखलकार ने चीनी को गिरवी पर या अन्यथा, अग्रिमों के लिए किसी बैंक को ब्याज का भुगतान किया हो :

परन्तु जहां किसी कारखाने का दखलकार एक या अनेक बैंकों को विभिन्न दरों पर ब्याज का भुगतान कर रहा हो वहीं इस उप-धारा के अधीन उसे संदेय दर वह होगी जो इन दरों में निम्नतम हो।

(3) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि किसी कारखाने का दखलकार कारखाने की निधियों को कारखाने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन में खर्च कर रहा है, तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे दखलकार की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज की दर बढ़ा सकेगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

52. अपराधों के लिए दण्ड। — यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम, या नियमावली के किसी उपबन्ध या इसके अधीन दिए गए आदेश या निर्देश या लाइसेन्स के बंधेजों और शर्तों का उल्लंघन करे या उल्लंघन करने का प्रयत्न करे या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करे, तो वह दो वर्ष तक के कारावास या पचीस हजार रूपए तक के जुर्माने या दोनों का भागी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद ऐसे उल्लंघन जारी रहने की अवधि में प्रतिदिन के लिए पाँच हजार रूपये तक अतिरिक्त जुर्माने का भागी होगा :

परन्तु, जहां अपराधी कारखाने के दखलकार या उसके प्रबंधक की ओर से कार्य करता रहा हो, वहां यथास्थिति, ऐसे कारखाने का दखलकार या प्रबंधक, वास्तविक अपराधी के अतिरिक्त या अनुकल्पतः उसी प्रकार दंडनीय होगा जबतक कि वह प्रमाणित न कर दे कि इस अधिनियम, या नियमावली का या इसके अधीन दिए गए आदेश या निर्देश या किसी लाइसेन्स के बंधेजों और शर्तों का अनुपालन कराने के लिए उसने समस्त सम्यक् तत्परता वरती थी और अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना ही किया गया।

53. कार्यवाही का चलाया जाना। — इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन तभी चलाया जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी कोई लिखित परिवाद करे, अन्यथा नहीं।

53-ए. लोक मांग के रूप में वसूलनीय राशि के लिए अध्यक्ष पदाधिकारी। — ईख पदाधिकारी / विशेष ईख पदाधिकारी इस अधिनियम की धारा 4, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 के तहत लोक-मांग के रूप में वसूलनीय राशि के लिए अध्यक्ष पदाधिकारी होंगे।

54. अपराध का शमन करने की शक्ति। — इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर ईख आयुक्त, दोषसिद्धि के पहले किसी प्रक्रम में, उस अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन जगाए जाने वाले जुर्माने की अधिकतम रकम से अनधिक ऐसी रकम के बदले जो वह (ईख आयुक्त) नियत करे, अपराध का शमन कर सकेगा और ऐसी रकम उक्त व्यक्ति से उसी प्रकार वसूलनीय होगी, मानो यह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो :

परन्तु ईख की तौल या ईख के मूल्य के भुगतान संबंधी अपराध का शमन न किया जाएगा।

55. प्रतिभूतियों का समपहरण। — (1) जहां किसी व्यक्ति ने धारा 16, 24, 25 या 31 के अधीन कोई प्रतिभूति जमा की हो, वहां उसके द्वारा इस अधिनियम या नियमावली के किन्ही उपबन्धों या उनके अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश के या किसी लाइसेन्स की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, समाहर्ता, उससे इस बात का हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी प्रतिभूति राज्य सरकार के प्रति समपहृत क्यों न कर ली जाए अथवा पूरी प्रतिभूति या उसका कोई अंश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को क्यों न दे दिया जाय जिन्हें उस व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति के अवचार के कारण कोई हानि उठानी पड़ी हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दर्शित किए गए हेतुक पर, यदि कोई हो विचार करने के बाद समाहर्ता प्रतिभूति की संपूर्ण राशि या उसके किसी अंश को समपहृत कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि संपूर्ण समपहृत राशि या उसका कोई अंश उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दे दिया जाए जिन्होंने उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई हानि उठाई हो :

परन्तु किसी व्यक्ति की प्रतिभूति उसकी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति के अवचार के लिए समपहृत न की जाएगी, यदि वह व्यक्ति समाहर्ता के समाधानानुरूप यह सिद्ध कर दे कि यद्यपि उसने अपनी ओर से समस्त सम्यक् तत्परता वरती थी तथापि ऐसे अन्य व्यक्ति ने अवचार कर दिया।

(3) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उप-धारा (2) के अधीन कोई कार्रवाई की गई हो तो ऐसा व्यक्ति उसी उल्लंघन के लिए धारा 52 के अधीन अभियोजन का भागी न होगा।

56. क्षतिपूर्ति — (1) इस अधिनियम या नियमावली या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने की आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

(2) इस अधिनियम या नियमावली या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य से हुई या होनी संभाव्य क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

57. ईख आयुक्त और अन्य व्यक्तियों का लोक-सेवक समझा जाना। — ईख आयुक्त, प्रत्येक ईख पदाधिकारी और ईख आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड-संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक-सेवक समझा जाएगा।

58. गवाहों को बुलाने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश कराने की शक्ति। — इस अधिनियम के अधीन जांचों के प्रयोजनार्थ ईख आयुक्त या उसकी शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या ईख पदाधिकारी या धारा 34 के अधीन नियुक्त पदाधिकारी को साक्षियों तथा पक्षकारों को समन करने, उन्हें हाजिर कराने, उनको शपथ पर परीक्षा करने और दस्तावेजों की पेशी के लिए बाध्य करने की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय को होती है :

परन्तु किसी व्यक्तिवर्ती व्यक्ति पर उक्त संहिता के उपबन्धों के अधीन कोई शास्ति लगाने के प्रयोजनार्थ समुचित कार्रवाई के लिए मामला सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय को निदेशित कर दिया जाएगा।

59. कारखाने के दखलकार का अवधारण। — (1) यदि कारखाने का दखलकार कोई फर्म या व्यक्तियों की अन्य संस्था हो, तो किसी भी भागीदार या सदस्य पर इस अधिनियम के अधीन किसी भी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए कारखाने का दखलकार दंडनीय हो अभियोजन चलाया जा सकेगा और उसे दंडित किया जा सकेगा :

परन्तु फर्म या संस्था ईख आयुक्त को यह सूचना दे सकेगी कि उसने अपने एक भागीदार सदस्य को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कारखाने का सलाहकार मनोनीत किया है जो ऐसा व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, तबतक दखलकार समझा जाएगा जबतक ईख आयुक्त को उसका मनोनयन रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त न हो या जब यह उस फर्म या संस्था का भागीदार या सदस्य न रह जाए।

(2) यदि कारखाने का दखलकार कोई कम्पनी हो, तो उसके किसी निदेशक पर, या यदि प्राइवेट कम्पनी हो तो उसके किसी भी शेयरधारक पर इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए कारखाने का दखलकार दंडनीय हो, अभियोजन चलाया जा सकेगा और वह दंडित किया जा सकेगा :

परन्तु कम्पनी ईख आयुक्त को यह सूचना दे सकेगी कि इसमें अपने एक निदेशक का, या प्राइवेट कम्पनी की दशा में एक शेयरधारक को, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कारखाने का दखलकार मनोनीत किया है और ऐसा निदेशक या शेयरधारक इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ तबतक कारखाने का दखलकार समझा जाएगा जबतक ईख आयुक्त को उसका मनोनयन रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त न हो या जब वह निदेशक या शेयरधारक न रह जावे।

60. भूतलक्षी प्रभाव से आदेश देने की शक्ति। — राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी बनाने का कोई आदेश दे सकेगी।

61. व्यक्तियों का सौंपा जाना। — राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का प्रयोग निदेश में विनिर्दिष्ट मामलों में और शर्तों के अधीन ऐसा पदाधिकारी या प्राधिकारी कर सकेगा, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

62. सहकारी कारखानों या यूनिटों को अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की शक्ति। — राज्य सरकार, सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके, बिहार ऐंड उडीसा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1935 (वि.उ.अ. 6, 1935) के अधीन स्थापित किसी सहकारी समिति के स्वामित्वाधीन कारखाने या यूनिट को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से विमुक्त कर सकेगी अथवा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे कारखाने या यूनिट के संबंध में ऐसे रूप भेदों के साथ लागू होंगे जैसा उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो :

परन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसा कोई रूपभेद, ऐसे संबद्ध कारखाने या यूनिट के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे कारखाने या यूनिट की सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर दिये बिना न किया जायगा।

63. अपीलीय प्राधिकार का अन्तर्वर्ती आदेश देने और अपील फाईल करने में हुए विलम्ब को माफ करने की शक्ति। — यदि इस अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी निर्णय या आदेश को रद्द करने के लिए किसी प्राधिकारी के पास अपील की जाय तो ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, न्याय के उद्देश्य को विफल होने से बचाने के लिए अपील का निर्णय होने तक ऐसा अन्तर्वर्ती आदेश दे सकेगा, जो उसे न्याय और सुविधा जनक प्रतीत हो अथवा ऐसा आदेश दे सकेगा, जो न्याय के उद्देश्य की सिद्धि के लिए या अपीलीय प्राधिकारी की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हो तथा यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी

पर्याप्त कारण से समय पर अपील नहीं कर पाया है तो वह अपील फाईल करने की अधिकाधिक करने के बाद भी अपील को ग्रहण कर सकेगा।

64. किसी निश्चित अवधि में कतिपय विधियों के अधीन सेसों और करों के अधिरोपन और संग्रहण को विधि मान्यता प्रदान करना। — (1) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी राज्य विधि के अधीन अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहित अथवा अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहित किये जाने के लिए तात्पर्यित सभी सेस और कर, विधि के अनुसार विधि मान्यतः अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहित समझे जायेंगे मानो यह अधिनियम ऐसे सभी तात्विक समयों में लागू रहा हो जब ऐसा सेस या कर अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत किया गया और तदनुसार —

(क) किसी राज्य विधि के अधीन भुगतान किये गये किसी सेस या कर की वापसी के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद हो, अन्य कार्यवाही न चलाई जायगी न जारी रखी जायगी,

(ख) कोई भी न्यायालय किसी राज्य विधि के अधीन भुगतान किये गये किसी सेस या कर की वापसी को निदेशित करने वाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित न करेगा, और

(ग) किसी राज्य विधि के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अधिरोपित या निर्धारित, लेकिन उस तारीख के पूर्व संग्रहीत न किया गया, कोई सेस या कर उस राज्य विधि में उपबंधित रीति से (जहां आवश्यक हो वहां सेस या कर के निर्धारण के बाद) वसूल किया जा सकेगा।

(2) संदेह-निराकरण के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जा है कि उप-धारा (1) की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि उससे किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित किसी बात के संबंध में रोक लग जायगी :-

(क) इस अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अनुसार, किसी अवधि के लिए किसी सेस या कर के अधिरोपन पर प्रश्न उठाना, या

(ख) उसके द्वारा किसी राज्य विधि और तदधीन बनी नियमावली के अधीन शोध रकम से अधिक भुगतान किये गये सेस या कर की वापसी का दावा करना।

स्पष्टीकरण। — इस धारा के प्रयोजनार्थ, राज्य विधि से तात्पर्य है —

- (क) बिहार सुगर फ़ैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1937 (बि.अ.सं. 7, 1937)।
 (ख) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1968 (बि.अ.सं. 3, 1968)।
 (ग) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1968 (बि.अ.सं. 6, 1968)।
 (घ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1968 (बि.अ.सं. 13, 1968)।
 (ङ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1969 (बि.अ.सं. 4, 1969)।
 (च) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1969 (बि.अ.सं. 6, 1969)।
 (छ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1969 (राष्ट्रपति अधि. 8, 1969)।
 (ज) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1971 (बि.अ.सं. 20, 1971)।
 (झ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1971 (बि.अ.सं. 49, 1969)।
 (ञ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1971 (बि.अ.सं. 69, 1971)।
 (ट) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1972 (बि.अ.सं. 61, 1972)।
 (ठ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1972 (बि.अ.सं. 110, 1972)।
 (ड) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1972 (बि.अ.सं. 165, 1972)।
 (ढ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (बि.अ.सं. 47, 1973)।
 (ण) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1973 (बि.अ.सं. 113, 1973)।
 (त) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1974 (बि.अ.सं. 15, 1974)।
 (थ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1974 (बि.अ.सं. 84, 1974)।
 (द) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1974 (बि.अ.सं. 115, 1974)।
 (ध) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (बि.अ.सं. 185, 1974)।
 (न) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1975 (बि.अ.सं. 36, 1975)।
 (प) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1975 (बि.अ.सं. 91, 1975)।
 (फ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1975 (बि.अ.सं. 135, 1975)।
 (ब) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) चतुर्थ अध्यादेश, 1975 (बि.अ.सं. 183, 1975)।
 (भ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (बि.अ.सं. 215, 1975)।
 (म) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1976 (बि.अ.सं. 43, 1976)।
 (य) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1976 (बि.अ.सं. 118, 1976)।

- (र) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (बि.अ.सं. 119, 1976)।
 (ल) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1976 (बि.अ.सं. 195, 1976)।
 (व) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (बि.अ.सं. 196, 1976)।
 (श) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1977 (बि.अ.सं. 49, 1977)।
 (ष) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (बि.अ.सं. 48, 1977)।
 (स) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1977 (बि.अ.सं. 93, 1977)।
 (ह) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1977 (बि.अ.सं. 150, 1977)।
 (हअ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) चतुर्थ अध्यादेश, 1977 (बि.अ.सं. 197, 1977)।
 (हआ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) पंचम अध्यादेश, 1977 (बि.अ.सं. 262, 1977)।
 (हइ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1978 (बि.अ.सं. 20, 1978)।
 (हई) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1978 (बि.अ.सं. 104, 1978)।
 (हउ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1979 (बि.अ.सं. 33, 1979)।
 (हऊ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1979 (बि.अ.सं. 76, 1979)।
 (हए) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1979 (बि.अ.सं. 127, 1979)।
 (हऐ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1980 (बि.अ.सं. 47, 1980)।
 (हओ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1980 (बि.अ.सं. 78, 1980)।
 (हऔ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1980 (बि.अ.सं. 127, 1980)।
 (हअं) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1981 (बि.अ.सं. 35, 1981)।
 (हअः) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (बि.अ.सं. 62, 1981)।
 (हक) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (बि.अ.सं. 76, 1981)।
 (हख) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1981 (बि.अ.सं.)।
 (हग) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (बि.अ.सं. 184, 1981)।

65. नियमावली बनाने की शक्ति। — (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित किसी या सभी बातों के लिए उपबंध कियाजा सकेगा अर्थात् :—

- (i) बोर्ड और परिषदों के कृत्य तथा कृत्यों के पालन की रीति,
- (ii) बोर्ड और परिषदों के कार्य—संचालन की रीति,
- (iii) बोर्ड और परिषदों के अधीन रखी गई निधियों के अनुरक्षण की रीति और प्ररूप तथा उन निधियों का उपयोग और उनमें से भुगतान की रीति,
- (iv) बोर्ड और परिषदों के लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा उसकी आनुषंगिक बातें,
- (v) बिहार ऐण्ड उड़ीसा लोकल फण्ड ऑडिट ऐक्ट, 1925 (बि.उ.अ. 2, 1925) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक से भिन्न लेखा परीक्षक का दिया जानेवाला पारिश्रमिक,
- (vi) ईख आयुक्त तथा अन्य प्राधिकारियों और पदाधिकारियों के कृत्य, जिनके द्वारा इस अधिनियम नियमावली के अधीन किन्हीं कृत्यों का पालन होना है,
- (vii) अध्याय-3 के अधीन लाइसेन्स,
- (viii) धारा-25 के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति,
- (ix) धारा-27 के अधीन किसी पेराई साल में किसी कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख का प्राक्कलन भेजने की तारीख और रीति तथा प्राक्कलन के प्रकाशन की रीति,
- (x) प्राधिकारी जो धारा-27 के अधीन जो तैयार किये गये प्राक्कलन पुनरीक्षण कर सकेगा,
- (xi) धारा-29 के अधीन खरीद केन्द्रों की स्थापना एवं कार्य चालन,
- (xii) फारम, जिस पर बिहार राज्य के बाहर स्थित कोई कारखाना धारा-31 के अधीन ईख की आपूर्ति के लिए क्षेत्र आरक्षितकरण के लिए आवेदन दे सकेगा,
- (xiii) वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा-31 की उप-धारा (1) के अधीन ईखायुक्त के द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील की जायगी,
- (xiv) किसी आरक्षित क्षेत्र में किसी कारखाने के दखलकार द्वारा ईख की खरीद के लिए करार से संबंधित फारम, तारीख, बंधेज और शर्त,

- (xv) धारा-32 के अधीन ईखायुक्त के द्वारा दिया जाने वाला आदेश,
- (xvi) वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा-32 के उप-धारा (4) के परन्तुक के खंड (iii) के अधीन दिये गये ईखायुक्त के विरुद्ध अपील की जायगी,
- (xvii) धारा-34 के अधीन संरक्षण करने वाले पदाधिकारी को स्वामियों और दखलकार द्वारा दी जाने वाली सहायता,
- (xviii) वह फारम जिसमें धारा-35 के अधीन पंजी रखी जायगी, उक्त पंजी प्रविष्टियों का संशोधन और नई प्रविष्टियों का समावेश, प्रविष्टियों के ऐसे संशोधन या समावेश से संबंधित खर्च का भुगतान और ऐसे खर्च की वसूली की रीति तथा पंजी की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों के लिए संदेय फीस,
- (xix) धारा-33 की अपेक्षानुसार बीजों का जखीरा और उसके अनुरक्षण की रीति,
- (xx) धारा-43 की अपेक्षानुसार ईख के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था,
- (xxi) धारा-44 के अधीन ईख के मूल्य में से कटौती और संबद्ध परिषद् को रकम का भुगतान,
- (xxii) धारा-46 के अधीन विवाद दर्ज करने की पंजी का फारम, वह अवधि जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसे निर्देश किया जायगा,
- (xxiii) धारा-46 के अधीन मूल्य जमा करने की रीति तथा वह प्राधिकारी जिसके पास वह जमा किया जायगा,
- (xxiv) धारा-48 की अपेक्षानुसार कमीशन के भुगतान की रीति,
- (xxv) धारा-48 की उप-धारा (2) के अधीन कमीशन के भुगतान का अनुपात और रीति,
- (xxvi) धारा-49 के अधीन संदेय कर के संग्रहण की रीति,
- (xxvii) धारा-50 के अधीन उधार देने की रीति और उसकी सीमा,
- (xxviii) वह समय जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन मामलों के संबंध में आवेदन और अपील की जा सकेंगी जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है,
- (xxix) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों और अपीलों के लिए संदेय फीसों और ऐसी फीसों के भुगतान की रीति,
- (xxx) कारखानों के दखलकारों या अन्य व्यक्तियों द्वारा ईख की मांग-परिचियों का वितरण,
- (xxxi) ईख की ठीक तौल, तौल के लिए सुविधाओं के लिए व्यवस्था, तौल की जाँच, तौल का समय और रखे जाने वाले भारी यंत्रों की श्रेणी या प्रकार,
- (xxxii) पहुँच-मार्गों की व्यवस्था, तौल-स्थान पर ईख लाने वाली गाड़ियों के ठहरने की जगह, पशुओं तथा गाड़ीवानों के लिए छादन, पशुओं के लिए पानी की नादे तथा अन्य संबंधित बातें और,
- (xxxiii) कोई अन्य बात, जिसका इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो।
66. निरसन और व्यावृत्ति। — (1) बिहार सुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1937 (बिहार अधिनियम संख्या- 7, 1937) एवं बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश सं. 184, 181) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व बिहार सुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1937 (बिहार अधिनियम संख्या- 7, 1937) या बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश सं. 184, 181) या बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन), (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश सं. 76, 1981) के अधीन या धारा-64(2) राज्य विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (भावी या भूतलक्षी प्रभाव से बनाये गये किसी नियम या जारी की गई अधिसूचना, दिये गये आदेश, की गई नियुक्ति, प्रारम्भ की गई कार्यवाही, निर्णित या माध्यस्थ के लिए निर्देशित विवाद, प्रोद्भूत अधिकार या उपगत दायित्व सहित), उसके निरीक्षण के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध ऐसे सभी दायित्व समयों पर लागू रहे हों जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।